सी० बी० (रो) संख्या 333

40

लोक सभा

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जाँच करने सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

(11 अगस्त, 1982 को प्रस्तुत)

17E

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1982/ श्रावण, 1904 (शक)

मूल्य : 3.40 रु०

H 3

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
(1)	–	12	परः स्थापित	पुरः स्थापित
1	1	3	समिति द्वारा	समिति की सभापति, समिति द्वारा
4	1·1	9	वर दक्षिण	वर दक्षिणा
18	2·9	6	सम्मता	सभ्यता
18	2·9	9	सम्य	सभ्य
20	2·20	नीचे से 2	खले तौर पर	खुले तौर पर
25	–	3	दुरूयोग	दुरूपयोग
26	3·12	6	स्वविकेकाधिकार	स्वविवेकाधिकार
28	3·23	6	संनान	संतान
31	3·36	2	सम्बनधित	सम्बन्धित
48	–	3	पक्षाकारों	पक्षकारों
54	10	2	1850	1950
56	3	3	शक्ति	शास्ति
67	(2)	4	सकगा	सकेगा
68	10	11	डायरी	डाउरी
77	–	5	प्रतिषेक्ष	प्रतिषेध
79	–	3	दुपुरूष	पुरूष
79	(ग)	1	पानी	पत्नी

....

विषय सूची

[पृष्ठ

ुक्त समिति की रचना . . . . (iii)

ाक्कथन 1

अध्याय एक—पृष्ठभूमि 4

क. दहेज प्रथा का आरम्भ 4

ख. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की उत्पत्ति . . . 4

(एक) समाज सुधारकों द्वारा किया गया कार्य . . . 4

(दो) सिंध देती-लेती अधिनियम, 1939 . . . 5

(तीन) हाल के समय में दहेज प्रथा 5

(चार) बिहार और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पारित 1961 पूर्व के दहेज प्रतिषेध कानून . . . 5

(पांच) दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 को पुरःस्थापित तथा पारित करना 6

ग. 1961 के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा पारित दहेज प्रतिषेध विधान—

(एक) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 . . 7

(दो) दहेज प्रतिषेध (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1975 8

(तीन) दहेज प्रतिषेध (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1976 . 8

(चार) दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976 . 8

(पांच) दहेज प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 . 9

(छः) दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 . . 9

घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और 1961 के बाद राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए दहेज संबंधी कानूनों में मुख्य अन्तर— 10

(एक) दहेज की परिभाषा 10

(दो) दहेज लेने, देने और दहेज मांगने के लिए दंड . . 11

(तीन) किसी पक्ष को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने के लिए दंड 11

(चार) पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखे जाने के लिए दंड 11

(पांच) अपराध 11

पृष्ठ

ङ. दहेज प्रथा के अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम 12

च. हाल की घटनाएं तथा 1961 के अधिनियम की जांच के लिए तथा उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त समिति को सौंपना 13

छ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की विफलता के कारण . . 13

अध्याय दो—देश के विभिन्न भागों में दहेज प्रथा . . . 16

(क) दहेज प्रथा की वर्तमान स्थिति 16

(ख) दहेज के कारण हुई मौतें अर्थात् हत्यायें आत्म हत्याएं एवं महिलाओं का जलाया जाना 18

(ग) संयुक्त समिति की धारणा 20

अध्याय तीन—सिफारिशें 23

भाग—एक : दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में सुझाये गए संशोधन . 23

भाग—दो : सामान्य सिफारिशें 33

अध्याय चार—विमत टिप्पण 36

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक—लोक सभा में स्वीकृत प्रस्ताव 38

परिशिष्ट दो—राज्य सभा में स्वीकृत प्रस्ताव . . . 40

परिशिष्ट तीन—सिंध देती-लेती अधिनियम, 1939 . . . 41

परिशिष्ट चार—बिहार दहेज अवरोध अधिनियम, 1950 . . 46

परिशिष्ट पांच—आंध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1958 . . 48

परिशिष्ट छः :—दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 (लोक सभा में पुरः स्थापित रूप में) 50

परिशिष्ट सात—दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित 53

परिशिष्ट आठ— दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 . . . 56

परिशिष्ट नौ—दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 . 61

परिशिष्ट दस—दहेज प्रतिषेध (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1975 . 63

परिशिष्ट ग्यारह— दहेज प्रतिषेध (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1976 . 66

परिशिष्ट बारह— दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976 . 70

परिशिष्ट तेरह—दहेज प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 74

परिशिष्ट चौदह—दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 . 78

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्रीमती कृष्णा साही—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी
*5. श्रीमती प्रमिला दण्डवते
6. श्रीमती सुशीला गोपालन
7. श्री जगपाल सिंह
8. श्री सत्यनारायण जटिया
%9. श्रीमती कैलाशपति
10. श्रीमती मोहसिना किदवई
11. श्री अनन्त रामुलु मल्लु
12. श्रीमती संयोगिता राणे
†13. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
14. श्री जगन्नाथ कौशल

---

*श्री सी० पलानीअप्पन द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण 26-3-1981 से नामनिर्दिष्ट

%श्रीमती सुखबंस कौर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण 21-4-82 से नाम-निर्दिष्ट।

†श्री पी० शिवशंकर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण 23-3-1982 से नाम-निर्दिष्ट।

राज्य सभा

15. श्रीमती मारग्रेट श्राल्वा
16. श्रीमती प्रमिलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण
17. श्रीमती उषा मल्होत्रा
18. श्रीमती कनक मुखर्जी
19. डा० (श्रीमती) सत्यवाणी मुथु
20. श्रीमती मनोरमा पांडे
21. श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

सचिवालय

1. श्री हरि गोपाल परांजपे--संयुक्त सचिव
2. श्री सत्यदेव कौड़ा--मुख्य विधायी समिति अधिकारी
3. श्री टी० ई० जगन्नाथन--वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती वी० एस० रमा देवी--संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदात्री
2. श्री बी० आर० अत्रे--उप विधायी परामर्शदाता।
3. डा० रघबीर सिंह--सहायक विधायी परामर्शदाता
4. श्री एस० एम० राय--सहायक प्रारूपकार (राजभाषा स्कंध)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कथन

मैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने और दहेज प्रथा की बुराइयों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही के लिए सम्बद्ध कानून में संशोधन सुझाने के लिए नियुक्त की गई दोनों सभाओं की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. यह समिति लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1980 को स्वीकृत एक प्रस्ताव पर, जिस पर राज्य सभा ने 24 दिसम्बर, 1980 को अपनी सहमति दी थी, गठित की गई थी। (परिशिष्ट एक तथा दो)

3. समिति की कुल मिला कर 41 बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिये 29 जनवरी, 1981 को हुई थी। समिति ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधनों के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थाओं, महिला संगठनों और स्वयं सेवी सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों आदि से 18 फरवरी, 1981 तक सुझावों सहित उनके ज्ञापन आमन्त्रित करने का निर्णय किया। समिति ने संबंधित पक्षों/व्यक्तियों से मौखिक साक्ष्य लेने का भी निर्णय किया। तदनुसार 30 जनवरी, 1981 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ज्ञापन आमन्त्रित किए गये और मौखिक साक्ष्य के लिये अनुरोध किया गया था। समिति के निर्णय के अनुसार आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से भी अनुरोध किया गया कि वे क्रमशः अपने सभी आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से उक्त प्रेस विज्ञप्ति की विषय-वस्तु प्रसारित करें। समिति ने अपने काम में तेजी लाने और उसे सुविधापूर्ण बनाने के लिये यह भी निर्णय किया कि इसके बारे में एक प्रश्नावली तैयार की जाये।

5. समिति ने दिनांक 18 फरवरी, 1981 की अपनी दूसरी बैठक में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली पर विचार किया और उसका अनुमोदन किया। यह प्रश्नावली सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के मुख्य सचिवों, महिलाओं के और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, संसद सदस्यों और अन्य सम्बद्ध पक्षों/व्यक्तियों आदि को भेजी गई थी। उनसे 14 मार्च, 1981 तक इस प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था।

6. समिति ने अपने कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव पर 18 मार्च, 1981 की अपनी बैठक में अधिनियम में संशोधन के लिये टिप्पणी/सुझाव प्राप्त करने के लिये निश्चित अवधि की सीमा 7 अप्रैल, 1981 तक बढ़ा देने का निर्णय किया। तदनुसार समिति के निर्णय के अनुरूप 18 मार्च, 1981 को फिर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ताकि उक्त तिथि तक ज्ञापन आदि

प्रस्तुत किये जा सकने की बात का क्षेत्रीय और विभिन्न भाषायी समाचार पत्रों के माध्यम से देश भर में व्यापक प्रचार हो सके। आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने सभी आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से उक्त प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का प्रचार/प्रसार करें।

7. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के संशोधन के लिये विभिन्न महिला संगठनों, स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, ऐसोसिएशनों, बार कौंसिलों, बार एसोसिएशनों, राज्य सरकारों, राज्य समाज कल्याण बोर्डों, सरकारी निकायों और व्यक्तियों आदि से राय/टिप्पणियों/सुझावों सहित 288 ज्ञापन/अभ्यावेदन और प्रश्नावली के 235 उत्तर प्राप्त हुए।

8. समिति ने देश के कुछ चुने हुए स्थानों का अध्ययन दौरा करने का निर्णय किया, ताकि वह देश में मौजूद दहेज प्रथा की बुराइयों की विकट समस्या से अवगत हो सकें,; समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित इस प्रणाली से सम्बद्ध तथ्यों और आंकड़ों का ठीक-ठीक पता लगा सकें तथा देश में समाज के उन विभिन्न वर्गों की राय सुन सकें जो दिल्ली आकर अपनी बात नहीं कह सकते। समिति ने विभिन्न महिला संगठनों और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों राज्य सरकारों, राज्य सामाजिक परामर्शदाता बोर्डों, बार कौंसिलों, बार एसोसिएशनों, अन्य संबंधित पक्षों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिये विभिन्न चरणों में देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी बैठक आयोजित करने का भी निर्णय किया।

9. तदनुसार समिति ने पणजी, पुणे, बम्बई तथा बंगलौर के 19 से 26 मई, 1981 तक अध्ययन संबंधी दौरे किये और विभिन्न महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक की राज्य सरकारों/राज्य समाज कल्याण बोर्डों तथा गोवा, दमण और दीव के संघ शासी क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों के विचार सुने।

10. समिति ने नई दिल्ली में (17 और 18 जून, 1981 तथा पुनः 9 और 10 नवम्बर, 1981) हैदराबाद, गुनटूर, इंदौर तथा भोपाल में (14 से 21 जुलाई, 1981 तक), पटना में (25 और 26 सितम्बर, 1981), लखनऊ, कलकत्ता और भुवनेश्वर में (8 से 15 जनवरी, 1982 तक) चण्डीगढ़ में (15 और 16 फरवरी, 1981 को), जयपुर, उदयपुर राजकोट तथा अहमदाबाद में (31 मई से 8 जून, 1982 तक) अपनी औपचारिक बैठकें भी की और उसने संबंधित राज्य सरकारों/राज्य समाज कल्याण बोर्डों, बार कौंसिलों/बार एसोसियेशनों, महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, अन्य विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, और अलग-अलग व्यक्तियों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुना।

11. समाज के विभिन्न वर्गों से सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों अर्थात् महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार कौंसिलों, बार एसोसियेशनों अन्य संगठनों, अलग-अलग व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 617 साक्षी मौखिक साक्ष्य देने के लिये समिति के समक्ष पेश हुए।

12. समिति का प्रतिवेदन 20 फरवरी, 1981 तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये चार बार अर्थात् पहली बार 19 फरवरी, 1981 को 18 सितम्बर, 1981 तक दूसरी बार 20 अगस्त, 1981 को 24 दिसम्बर, 1981 तक तीसरी बार 1 दिसम्बर, 1981 को 30 अप्रैल, 1982 तक और चौथी बार 16 अप्रैल 1982 को शरद् सत्र, 1982 के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

13. 1 फरवरी, 1982 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निर्णय किया है कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जा सकता है।

14. 7 अगस्त और 2 दिसम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने ज्ञापनों में अन्तर्विष्ट सुझावों, प्रश्नावली के उत्तरों तथा साक्ष्य के संबंध में समिति के समक्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं पर तुलनात्मक सामान्य विचार-विमर्श किया।

1, 2 तथा 3 फरवरी, 12 मार्च, 14 अप्रैल तथा 5 मई 1982 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने अपने समक्ष रखी गयी विभिन्न बातों के संबंध में सामान्य विचार-विमर्श को जारी रखा। मतैक्य पर पहुंचने की दृष्टि से समिति ने उन संशोधनों के संबंध में भी विचार-विमर्श किया जिनके बारे में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के लिये सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया था।

15. 5 मई, 1982 को हुई अपनी बैठक में समिति ने समिति के प्रारूप प्रतिवेदन को तैयार करने के प्रयोजन से एक प्रारूप तैयार करने संबंधी, उप-समिति को नियुक्त किया और सभापति को उप-समिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिये प्राधिकृत किया। सभापति ने 11 जून, 1982 को प्रारूप तैयार करने वाली 7 सदस्यीय निम्नलिखित उप-समिति को मनोनीत किया ––

1. श्रीमती कृष्णा साही––सभापति
2. श्रीमती प्रमिला दण्डवते
3, श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्रीमती संयोगिता राणे
6. श्रीमती मारग्रेट अल्वा
7. श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

16. प्रारूप तैयार करने संबंधी उप-समिति ने संयुक्त समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन 6 अगस्त, 1982 को प्रस्तुत किया।

17. समिति ने 6 अगस्त, 1982 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

अध्याय 1

पृष्ठ भूमि

क. दहेज प्रथा का आरम्भ

1.1 दहेज प्रथा का आरम्भ अविश्वसनीय रूप से साधारण था और उसमें आजकल किए जाने वाले प्रदर्शन की भावना नहीं थी। **वैदिक काल** में प्राचीन विवाह संबंधी कर्मकांड **कन्यादान** से सम्बद्ध थे। **हिन्दू शास्त्रों** के अनुसार **दान** का पुण्य कार्य तब तक अधूरा रहता है जब तक दान प्राप्तकर्त्ता को **दक्षिणा** नहीं दे दी जाती है। अतः वर को वधू दी जाती है तो उसे नकद राशि अथवा कोई वस्तु देनी पड़ती है जो **वर-दक्षिणा** कहलाती है। इस प्रकार **कन्या दान** **वर दक्षिणा** वधू के माता पिता या संरक्षक द्वारा वर को दी जाने वाली नकदी राशि या वस्तु से सम्बद्ध हो गया। उन दिनों में इस **वर दक्षिणा** या दहेज में गहने और कपड़े जो वधू के माता पिता दे सकते थे, दिये जाते थे और वे वधू की सम्पत्ति होते थे। यह **वर दक्षिण** स्नेह के कारण दिया जाता था और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी या विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं दिया जाता था। यह एक स्वैच्छिक प्रथा थी और जिसके लिए दबाव नहीं डाला जाता था। **धर्म शास्त्रों** में बताया गया है कि **वृत्ति** और **अबंध्यम्** वधू की सम्पत्ति (**स्त्री धन**) होता था जिस पर उसका पूर्ण अधिकार होता था और जो कठिन समय में उसे वित्तीय सुरक्षा देता था। मूलतः दहेज प्रथा **अबला** वधू को विवाहोपरांत सुरक्षा देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। दहेज प्रथा ने अपना वर्तमान स्वरूप समाज में महिलाओं का दर्जा घट जाने के परिणामस्वरूप धारण किया प्रतीत होता है। समय बीतने के साथ-साथ दहेज में स्वैच्छा से देने वाली बात नहीं रही। धीरे-धीरे दबाव डालने की प्रवृत्ति आ गयी और विवाह में तथा विवाहोपरांत संबंधों में इस प्रवृत्ति ने गहरी जड़ें जमा लीं। इस प्रकार आरम्भ में जो वधू के लिए सांकेतिक **दक्षिणा** थी, अब विराट रूप धारण कर चुकी है और विवाह के लिए मूल्य के रूप में है।

ख. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की उत्पत्ति

(एक) समाज सुधारकों द्वारा किया गया कार्य

1.2 राजा राममोहन राय, रानाडे, कर्वे, रामाबाई, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, महात्मा ज्यांतिबा फूले तथा डा० बाबा साहिब अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के भरसक प्रयत्न किये थे। उनमें एक कुरीति दहेज प्रथा भी थी, जिससे भारतीय महिलाएं पीड़ित थीं। महात्मा गांधी ने दहेज प्रथा की कुरीति के उन्मूलन पर विशेष बल दिया था और कहा था कि "निःसंदेह यह एक निर्दय रिवाज है। इस प्रथा को जाना ही होगा। विवाह की माता-पिता द्वारा पैसे के लिए की गयी व्यवस्था के स्वरूप को खत्म करना होगा।"

तथापि, समाज ने अपने परम्परावादी दृष्टिकोण तथा लोभ के कारण महात्मा गांधी और अन्य समाज सुधारकों द्वारा संजोई इस इच्छा को अब तक पूरा नहीं होने दिया है, बल्कि

दूसरी ओर आधुनिकीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकरण से हुए परिवर्तनों के कारण समाज ने इसे जड़ से उखाड़ फैंकने के बजाय इसको विराट रूप दे दिया है।

(दो) सिंध देती-लेती अधिनियम, 1939

1.3 भारत के आजाद होने से काफी पहले सिंध की तत्कालीन सरकार ने दहेज प्रथा की कुरीति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए "सिंध देती-लेती नियम, 1939 नाम से एक अधिनियम पारित किया था (परिशिष्ट-3) हालांकि अधिनियम में व्यापक उपबंध थे, जिन में अन्य बातों के साथ-साथ सगाई या विवाह करने के लिये दहेज या लेने देने का प्रतिषेध था, विनिर्दिष्ट सूची के अनुसार दहेज देने और लेने की सीमा बांध दी गई थी और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई थी, फिर भी उसका न तो कोई असर पड़ा और न ही वह अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न कर सका।

(तीन) हाल के समय में दहेज प्रथा

1.4. भारत में पिछले कुछ दशकों में देश में लगभग सभी भागों में दहेज प्रथा की कुरीति विकट रूप में उभर कर सामने आई जिसे समाज के लगभग सभी वर्गों ने अपनाया। इसके लिये सामाजिक आर्थिक पहलू उत्तरदायी थे। समाज के उच्च वर्ग के उन लोगों ने, जिनके पास लुटाने के लिये काला सफेद दोनों प्रकार का धन था, मूल्यवान उपहार, गहने देना और तड़क-भड़क के साथ विवाह की रस्म मनाना आरम्भ कर दिया। उन का अनुसरण करते हुए कम धनवान लोगों ने भी धनवान लोगों की बराबरी करनी शुरू कर दी और दहेज मांगने लगे। फलस्वरूप दहेज और दिखावे की जुड़वां कुरीति धनवानों से होते होते निर्धनों तक पहुंच गई और शिक्षित और अशिक्षित, शहरों और गांवों सब में समान रूप से व्याप्त हो गई तथा इस कुरीति ने जातिवंश और धर्म का भेदभाव न करते हुए समाज के सभी वर्गों को घेर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से, जि में पुत्रियों और पुत्रों को पिता की सम्पत्ति में बाराबर का हिस्सा देने की व्यवस्था है किन्तु पुत्रियों को रिहायशी मकान के बटवारे के लिये कहने का अधिकार नहीं दिया गया है। दहेज प्रथा को अनायास ही बढ़ावा मिला है क्योंकि भावी सास-ससुर आदि ने विवाह के बाद वधू के पिता की सम्पत्ति में से उसके हिस्से का दावा करने के स्थान पर उसे विवाह में दहेज के रूप में मांगना शुरू कर दिया है।

(चार) बिहार और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पारित 1961–पूर्व के दहेज प्रतिषेध कानून

1.5. आजादी के बाद बिहार और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने, अपने राज्यों में दहेज प्रथा की विकट समस्या को देखते हुए क्रमशः इस प्रथा के उन्मूलन के एक मात्र उद्देश्य से बिहार "दहेज अवरोध अधिनियम, 1950" (परिशिष्ट 4) और "आन्ध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1958" (परिशिष्ट 5) पारित किये थे।

1.6. बिहार दहेज अवरोध अधिनियम, 1950 में "दहेज" की व्याख्या सगाई या विवाह करने के प्रतिफल के रूप में प्रदत्त या सुपुर्द की गई कोई वस्तु की गई थी। इसमें विभिन्न अवसरों पर दी जाने वाली नकद राशि या वस्तु की सीमा निर्धारित की गई थी किन्तु स्वेच्छा से दिये जाने वाले विवाह उपहारों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें दहेज लेने को छः मास तक की साधारण कैद या दहेज के मूल्य तक के जुर्माने अथवा

दोनों से दण्डनीय बनाया गया था । और दहेज देने या लेने अथवा देने के लिये उकसाने को एक मास तक की साधारण कैद या एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डनीय बनाया गया था । अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि किसी अपराध के लिये "कारण बताओ" सूचना दिये बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा ।

1.7. इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम ने 1958 में "दहेज" को किसी सगाई या विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में दी गई या दिये जाने के लिये सहमत कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित किया गया था । इसमें दहेज देने या लेने को गैर-कानूनी और इस संबंध में किये गये किसी करार को शून्य घोषित किया गया था । इसमें दहेज देने या लेने अथवा देने या लेने के लिये उकसाने को छः मास तक की कैद या एक हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय बनाया गया था । इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के लिये मुकदमा शिकायत पर अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलाया जा सकता था ।

1.8. ये दोनों अधिनियम अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे जिनके लिये उन्हें अधिनियमित किया गया था क्योंकि उनमें त्रुटियां थीं । पहली बात यह है कि यह सिद्ध करना सम्भव नहीं था कि इस प्रकार दी गई कोई भी राशि अथवा सम्पत्ति को "सगाई या विवाह के लिये माना जाये ।" और दूसरी बात यह है कि उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही आरम्भ करने हेतु किसी ऐजेन्सी का न होना है, क्योंकि दुल्हन के माता-पिता लड़की के हित में शिकायत करना पसन्द नही करेंगे ।

(पांच) दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 को पुरःस्थापित तथा पारित करना

1.9 चूंकि यह समस्या गम्भीर रूप से बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसने राज्य विधान मण्डलों तथा संसद के बाहर और भीतर लोगों का ध्यान आकर्षित करना आरम्भ कर दिया है । प्रथम लोक सभा के प्रारम्भ से ही संसद में बार बार इस मामले को उठाया गया और संसद में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के रूप में दहेज पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु विभिन्न प्रस्ताव लाये गए । एक गर-सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान, जिसे श्रीमती उमा नेहरू, संसद सदस्य द्वारा 27 नवम्बर, 1953 को पूर्वतित किया गया था तो तत्कालीन विधि मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि राज्य-सरकार के साथ विचार-विमर्श करके इस विषय के संबंध में एक विधेयक तैयार किया जाएगा । उस आश्वासन के अनुसरण में बाद में एक विधेयक तैयार किया गया था और राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों को देखते हुये इसे मंत्रीमण्डल के विचारार्थ भेजा गया था । तब मंत्रीमण्डल ने निर्णय लिया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमित हो जाने तक इस प्रस्ताव को अस्थगित रखा जाये । 1956 में उक्त अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के पश्चात सरकार ने यह महसूस किया कि दहेज पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक पृथक विधेयक एक अत्यावश्यकता का मामला नहीं है । चूंकि यह समस्या अति विशाल रूप धारण करके बढ़ती रही, इसलिए इस मामले को सदस्यों द्वारा संसद में पुनः बार बार उठाया गया और विभिन्न राज्य विधान मण्डलों तथा संसद में भी इस विषय के संबंध में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित किया गया । इस समस्या की निरन्तरता को देखते हुए और राजनीति तथा सामाजिक दोनों स्तरों पर दबाव के कारण सरकार ने अन्ततः इस विधान को तैयार करने का निर्णय किया । इसके परिणामस्वरूप दहेज प्रथा की बुराइयों के

उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 1959 को लोक सभा में दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 पुरःस्थापित किया गया था (परिशिष्ट छः) कुछ चर्चा के पश्चात विधेयक को सितम्बर, 1959 में विचार तथा प्रतिवेदन हेतु संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया। संयुक्त समिति ने विधेयक में (परिशिष्ट सात) कुछ संशोधनों सहित अपना प्रतिवेदन 19 नवम्बर, 1959 को प्रस्तुत किया। जब संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर लोकसभा में विचार शुरू हुआ, तो लोक सभा ने अपनी समझदारी से विधेयक के खंड । से 2 के स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित करके संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक में एक संशोधन कर दिया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सदाशयपूर्ण उपहारों को दहेज के रूप में न समझा जाये। तथापि जब लोंक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर राज्य सभा में विचार शुरु किया गया, तब राज्य सभा ने अपनी समझदारी से लोक सभा द्वारा प्रस्तावित विधेयक के संशोधन को स्वीकार नहीं किया। चूंकि सदन (लोक सभा तथा राज्य सभा) संबंधित विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के संबंध में अन्ततः असहमत हुये थे, इसलिए 6 तथा 9 मई; 1961 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में इस विधेयक पर विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया। उक्त अधिनियम, अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 1 जुलाई, 1961 से लागू हुआ।

परिशिष्ट आठ

ग. 1961 के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा पारित दहेज प्रतिषेध विधान

1.10 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात भी देश के विभिन्न भागों में विद्यमान रिवाजों की विविधता तथा अनेकरूपता के कारण दहेज प्रथा की यह समस्या अनेक प्रकार से बढ़ती रही और कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होता रहा है। इस प्रथा की बुराइयों को बढ़ने से रोकने तथा इनका दमन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों को स्थानीय स्थितियों के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधनों को करने तथा उनका अनुपालन करने की अनुमति दे दी। तदनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 246(2) के अन्तर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अधिनियमों को पारित कर दिया। जिनके द्वारा अपने-अपने राज्यों में और उन्हें लागू करने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन कर दिया। राज्य सरकारों द्वारा किये गये संशोधनों की मुख्य महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त रूप में नीचे बताया गया है।

(एक) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (परिशिष्ट नौ)

1.11 इस अधिनियम द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 4 तथा 8 को नयी धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन संशोधनों द्वारा दहेज देने, लेने और मांगने के लिये छः मास तक के कारावास तथा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने, दोनों के लिये उपबन्ध किया गया और अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को प्रत्यार्क्षक गैर-जमानती बना दिया गया।

(दो) दहेज प्रतिषेध (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1975 (परिशिष्ट दस)

1.12 संशोधी अधिनियम द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4 तथा 7 का संशोधन किया गया। इन संशोधनों द्वारा दहेज के देने, लेने अथवा मांगने के अपराधों को न्यूनतम तीन मास के कारावास के साथ, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दो हजार के न्यूनतम जुर्माना के साथ जिसे 10 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता अथवा दोनों ही के साथ, दण्डनीय बना दिया गया। इसमें यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि पांच वर्ष पूर्व स्थापित समाज कल्याण के किसी संगठन द्वारा शिकायत को भेजने के मामले में किसी अपराध के प्रज्ञेय करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से उल्लिखित किया जा सकता है।

इसके द्वारा एक नई धारा का अन्तःस्थापन भी किया गया, जिसमें पति द्वारा विवाह से पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके पश्चात दहेज न मिलने के आधार पर पत्नी के वैवाहिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से वंचित करने पर कम से कम तीन महीने की कैद, जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है अथवा कम से कम दो हजार रुपये का जुर्माना, जिसे 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। इस संशोधन के द्वारा शिकायत दर्ज करने के समय को, अपराध की तारीख से तीन वर्ष तक के लिये और आगे बढ़ा दिया गया है।

(तीन) दहेज प्रतिषेध (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1976 (परिशिष्ट ग्यारह)

1.13 इस अधिनियमन के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधनों के रूप में दो नई धाराओं 6क तथा 6ख का अन्तःस्थापन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पति द्वारा दहेज न मिलने अथवा कम दहेज मिलने के आधार पर पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखने पर एक वर्ष तक की कैद अथवा दस हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया था। न्यायालय को जुर्माने अथवा उसके कुछ भाग की राशि, यदि किया गया है तो, क्षतिपूर्ति के रूप में पत्नी को अदा करने के लिये निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इसमें न्यायालय को उपर्युक्त अपराध के लिये ऐसे व्यक्ति की दोष सिद्धि होने पर अपनी पत्नी के भरण-पोषण हेतु पांच सौ रुपये तक के मासिक भत्ते की अदायगी तथा भरण-पोषण के दावे के निपटान तक, यदि उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर किया गया है, पति को अपनी समस्त परिसम्पत्तियों के अन्तरण पर रोक लगाने के संबंध में न्यायालय को सारांश जारी करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है।

(चार) दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976 (परिशिष्ट-बारह)

1.14 इस अधिनियम के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2,3,4, तथा 7 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन तथा इसकी धारा 6 का संशोधन किया गया है। इस संशोधनकारी अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ विवाह-पूर्व समारोहों पर विवाह के समय अथवा इससे पहले, माता-पिता तथा अन्य निकट संबंधियों द्वारा दिये गये उपहारों, सजावट आदि पर किये गये "कुल विवाह व्यय" की परिभाषा दी गई है तथा इनके लिये 5 हजार रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। इसके द्वारा बारातियों

तथा बैण्डवालों की अधिकतम संख्या भी क्रमश: 25 तथा 11 निर्धारित की गई है। इसमें अधिनियम के उपबन्धों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर छ: महीने की कैद तथा 5 हजार रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। दहेज न मिलने अथवा कम दहेज मिलने के आधार पर पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखने पर भी इसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था की गई थी तथा न्यायालय को जुर्माने अथवा उसके कुछ भाग की राशि, यदि किया गया है तो, क्षतिपूर्ति के रूप में पत्नी को अदा करने के लिये निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। संशोधनकारी अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) वधू के माता पिता अथवा भाई अथवा राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किये गये राजपत्रित अधिकारी द्वारा शिकायतें दर्ज की जा सकती है ;

(ख) पुलिस उप-अधीक्षक या उससे उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी; तथा

(ग) जांच के लिए किसी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा।

(पांच) दहेज प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 (परिशिष्ट तेरह)

1.15. इस संशोधनकारी अधिनियम के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3,4, 7 तथा 8 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दहेज देने, लेने तथा मांगने पर एक वर्ष तक की कैद तथा 5 हजार रु० के जुर्माने के निवारक दण्ड की व्यवस्था की गई है। इसमें विवाह के समय दिये गये उपहारों के प्रदर्शन, मिलनी अथवा सगाई या विवाह से संबंधित किसी अन्य समारोह में कुछ देने तथा ढाके के समय शगुन, सगाई अथवा टीके के रूप में 11 रुपये मूल्य से अधिक की कोई वस्तु देने पर छ: मास तक की कैद अथवा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है। दहेज न देने के आधार पर किसी भी पक्ष को विवाह के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से वंचित रखने पर भी इसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था की गई है। संशोधनकारी अधिनियम द्वारा इन अपराधों को अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञेय, जमानत योग्य तथा अशमनीय अपराध घोषित किया गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अन्तर्गत दर्ज की गई पुलिस रिपोर्ट अथवा व्यथित पक्ष द्वारा क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से दर्ज की गई शिकायत पर ही न्यायालयों को अपराध का संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पुलिस उप-अधीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(छ:) दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 (परिशिष्ट चौदह)

1.16. संशोधनकारी अधिनियम के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 4, 9 का संशोधन तथा धारा 7 और 8 का प्रतिस्थापन किया गया है। संशोधनकारी

अधिनियम द्वारा दहेज लेने, देने अथवा मांगने के अपराध के लिए 1 वर्ष की कैद तथा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा विवाह के समय दिये गये उपहारों के प्रदर्शन, बच्चों तथा बैन्ड वादकों को छोड़कर 25 से अधिक बाराती ले जाने, ठाके, सगाई अथवा विवाह के समय शुगुन के रूप में 11 रु० से अधिक मूल्य की कोई वस्तु देने, मिलनी के समय या सगाई अथवा विवाह से संबंधित किसी अन्य समारोह में कुछ भी देने, दो प्रमुख भोजन, (यथा दोपहर/रात का भोजन) से अधिक बार भोजन परोसने का प्रतिषेध किया गया है तथा इनमें से किसी के भी उल्लंघन पर 6 महीने की कैद अथवा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के दण्ड की व्यवस्था है। इस अधिनियम में दहेज न मिलने के आधार पर पत्नी को विवाह के अधिकारों तथा विशेषाधिकार से वंचित रखने अथवा उत्पीड़न के लिए एक वर्ष तक की कैद तथा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है। इस संशोधन द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत, किये गये अपराधों को, व्यथित पक्ष द्वारा एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराने पर संज्ञेय बनाया गया है और जमानतयोग्य तथा अशमनीय घोषित किया गया है और पुलिस उप-अधीक्षक या इस से ऊपर के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने की भी व्यवस्था की गई है। संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी भी अपराध के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जायेगा।

घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और 1961 के बाद राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये दहेज प्रतिषेध कानूनों में मुख्य अन्तर

1.17. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और इसे अपने-अपने राज्यों में लागू करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा इसमें किये गये संशोधनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं :—

(एक) **दहेज की परिभाषा**—केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को "**विवाह के लिए प्रतिफल के रुप में**" दिया गया न दर्शाया गया हो तो उसे दहेज नहीं माना जा सकता और विवाह या किसी अन्य संस्कार पर किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा विदित नहीं की गई है। तथापि जिन राज्यों ने केन्द्रीय अधिनियम, 1961 में संशोधन किये हैं उन्होंने दहेज की परिभाषा में तो परिवर्तन नहीं किया है लेकिन—

(क) हरियाणा सरकार ने विवाह पूर्व कार्यों पर और विवाह के लिये किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रबन्धों सहित विवाह कार्य पर किये जाने वाले कुल खर्च की सीमा विहित की है;

(ख) पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने शुगुन के रूप में दी जाने वाली धन-राशि की सीमा 11 रूपये विहित की है और मिलनी के समय कुछ भी दिये जाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने विवाह के समय दी गई भेंटों को दिखाने के लिये सजाकर रखने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) हरियाणा तथा पंजाब की सरकारों ने विवाह में बारातियों की संख्या की भी सीमा निर्धारित की है।

(दो) दहेज देने, लेने और मांगने के लिये दंड--(1) केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार दहेज देने लेने और मांगने के अपराध पर छ: महीने तक की कैद या 5000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय हैं।

उड़ीसा सरकार ने इस में कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन--

(क) बिहार और हरियाणा की सरकारों ने इन अपराधों को छ: महीने की कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय बना दिया है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने ऐसे अपराधों को एक साल तक की कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय बनाया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार ने **कम से कम** तीन महीने की कैद का दण्ड रखा है जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है या **कम से कम** 2 हजार रुपए का जुर्माना जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) मूल अधिनियम में यह उपबंधित है कि दहेज मांगने के अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी या इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व मंजूरी न ले ली गई हो।

तथापि, पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समाज कल्याण संगठन की शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है।

(तीन) किसी पक्ष को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने के लिये दण्ड हालांकि मूल अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने दहेज न देने के कारण विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने, भरण पोषण न करने या एक पक्षकार द्वारा दूसरे को विवाह के पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद तंग करने के अपराध के लिए कैद या/और जुर्माने का दण्ड देने की व्यवस्था की है।

(चार) पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों से इन्कार किये जाने के लिये दण्ड दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है लेकिन उड़ीसा और हरियाणा की सरकारों ने दहेज न मिलने या अपर्याप्त दहेज मिलने के कारण पति द्वारा पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखने के अपराध के लिए कैद/या और जुर्माने की व्यवस्था की है। न्यायालयों को इस प्रकार किये गये जुर्माने या उसके कुछ अंश को क्षतिपूर्ति के रूप में पत्नी को देने के लिए निर्देश देने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। न्यायालयों को यह प्राधिकार भी दिया गया है कि वे पति का दोष सिद्ध हो जाने पर पत्नी के भरण-पोषण के लिये पति द्वारा मासिक भत्ता दिये जाने के लिये आदेश दें।

(पांच) **अपराध**--केन्द्र के 1961 के अधिनियम में इसके अन्तर्गत आने वाले अपराधों को असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय बनाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने इन अपराधों को संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय बनाया है और बिहार सरकार ने इन्हें संज्ञेय, और जमानतीय और अशमनीय बनाया है।

ङ. दहेज प्रथा की बुराई को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदम

1.18. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के लागू किए जाने के बावजूद दहेज प्रथा देश भर में पनपती रही । यह एक सामाजिक समस्या है और चूंकि इस विषय पर केन्द्र द्वारा बनाये गये कानून निष्प्रभावी सिद्ध हुए इसलिए सरकार ने इस समस्या से कड़ाई से निपटने और दहेज प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से कई अन्य कदम उठाये।

1.19. 'भारत में नारी की सामाजिक स्थिति संबंधी समिति' द्वारा दिसम्बर, 1974 में अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार का दहेज देने या लेने या दहेज देने अथवा लेने के लिए उकसाने या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । बहुत सी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों की आचरण नियमावली में इसी प्रकार के संशोधन कर दिये हैं।

1.20. सर्वप्रथम, राज्य सरकारों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी ताकि इसे उन राज्यों में विद्यमान दहेज प्रथा की बुराइयों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके । तदनुसार, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों ने संविधान के अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 246(2) के अन्तर्गत 1961 के केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन कर दिया, जिसका उल्लेख पैरा 1.11 से 1.16 में किया जा चुका है । कुछ राज्य सरकारों ने इन संशोधनों द्वारा विवाह एवं अन्य समारोहों पर होने वाले व्यय की सीमा निर्धारित कर दी है, उपहारों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था की गई है ; कुछ राज्यों ने तो दहेज न देने या अपर्याप्त दहेज देने के आधार पर पति द्वारा पत्नी को विवाह के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से वंचित रखने पर तथा दाम्पत्य अधिकारों से मना करने पर कठोर सजा की भी व्यवस्था की है।

1.21. भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को यह अनुदेश जारी किये हैं कि यदि विवाह के पहले पांच वर्षों के दौरान किसी महिला का अस्वाभाविक परिस्थितियों में देहांत हो जाता है तो उसकी विस्तृत तथा अनिवार्यतः जांच कम से कम पुलिस उप-अधीक्षक के स्तर के अधिकारी से कराई जाये और लाश का पोस्ट-मार्टम कराया जाये । राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि पोस्ट मार्टम के बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' दिये जाने के बाद ही लाश वापस की जाये।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यह निर्णय किया गया है कि दहेज की कथित मांग के परिणामस्वरूप हुई मानव हत्या के सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के "मानव हत्या जांच दस्ते" द्वारा की जाएगी यह भी तय किया गया है कि ऐसे मामलों को निपटाने में किसी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आया जायेगा ।

1.22. केन्द्रीय सूचना माध्यम रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा दहेज-विरोधी प्रचार करता है । दृश्य एवं प्रचार निदेशालय दहेज की बुराइयों के खिलाफ सतत अभियान चलाने के कार्यक्रम में लगा है । राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन. केन्द्रीय समाज

कल्याण बोर्ड तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से भी दहेज विरोधी अभियान शुरू करने को कहा गया है ताकि इस बुराई के खिलाफ जनता के मस्तिष्क में भारी परिवर्तन लाया जा सके।

1.23. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दहेज विरोधी अभियान चलाने के लिए समाज कल्याण निदेशालय में एक "दहेज विरोधी सैल" स्थापित किया गया है। यह सैल दहेज संबंधी विवादों से पीड़ित महिलाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में भी कार्यवाही करता है। दहेज संबंधी विवादों के कारण होने वाली महिलाओं की मौतों/आत्म हत्याओं संबंधी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी एक विशेष सैल गठित किया है।

च. हाल की घटनाएं तथा 1961 के अधिनियम को जांच के लिये तथा उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये संयुक्त समिति को सौंपना

1.24. 1961 के केन्द्रीय अधिनियम और विद्यमान राज्य कानूनों तथा दहेज प्रथा की बुराइयों को दूर करने के लिये समय समय पर सम्बन्धित केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बावजूद दहेज की कुप्रथा निरन्तर बढ़ती रही और हाल के वर्षों में इस सम्बन्ध में स्थिति चिन्ताजनक हो गई जिसके परिणामस्वरूप दहेज के कारण अनेक मौतें हुई और बहुत सी विवाहित युवतियों की हत्या की गई या उनके द्वारा आत्महत्या की गई। इन दुःखद घटनाओं का वर्णन समाचार-पत्रों में अत्यन्त कटु शब्दों में किया गया। अनेक महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों ने भी इन घटनाओं पर भारी रोष व्यक्त किया। इन मामलों को किसी न किसी रूप में संसद में भी उठाया गया। दहेज की बुराइयों से कारगर ढंग से निपटने के लिये 13-6-1980 को श्रीमती प्रमिला दण्डवते, संसद सदस्य द्वारा एक गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और 5 और 19 दिसम्बर, 1980 को उस पर विचार किया गया था। 19 दिसम्बर, 1980 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने लोक सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने के प्रश्न और दहेज प्रथा की बुराई से कारगर ढंग से निपटने के लिये कानून में किये जा सकने वाले संशोधनों को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को जांच करने तथा उस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिये भेजा जाये। लोक सभा में उक्त प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने उसी दिन सभा की अनुमति से इस विषय पर अपना विधेयक वापस ले लिया।

छः दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की विफलता के कारण

1.25. समिति को यह नोट करते हुए अत्यधिक चिंता है कि केन्द्रीय कानून तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित संशोधनकारी कानूनों के होने के बावजूद और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों–दोनों के ही द्वारा किये गये उपायों के बावजूद, इनमें से कोई भी उपाय दहेज की सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है। इस बुराई का उन्मूलन न सही, परन्तु उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रत्यक्ष प्रयोजन के लिए केन्द्रीय कानून प्रभावी किया गया था, परन्तु अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वह बुरी तरह विफल रहा है। दहेज प्रथा के तीव्र विकास के बावजूद, व्यावहारिक रूप से अधिनियम के अधीन किन्हीं भी मामलों को दर्ज नहीं किया गया है। अधिनियम के माध्यम से जिस बुराई को समाप्त करने का विचार था, वह उसके बजाय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है और वह बेतुकी और चिंताजनक सीमाओं तक पहुंच गयी है।

1.26. समिति यह महसूस करती है कि जहां तक दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन का संबध है, दो ऐसे मुख्य कारण दिखाई देते है, जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में उसकी विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं । पहला, अधिनियम के अन्तर्गत धारा 2 में एक स्पष्टीकरण सम्मिलित है, जो अधिनियम की शक्ति को समाप्त कर देता है और उस प्रयोजन को निष्प्रभावी कर देता है जिसके लिए कानून बनाया गया था, उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार नकदी, आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुओं के रूप में दिये जाने वाले उपहारों को दहेज नहीं माना गया है, जब तक कि वे उक्त पक्षों के "विवाह के प्रतिफल के रूप में न दिये गये हों । यह सिद्ध करना लगभग असम्भव है कि इस प्रकार दिये गये उपहार विवाह के प्रतिफल के रूप में दिए गये थे, क्योंकि इसका स्पष्ट कारण यह है कि दाता अर्थात् वधु के माता-पिता अथवा अभिभावक लड़की के हित में ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरे, अधिनियम को वस्तुतः प्रभावी नहीं किया गया । न्यायालय, जो धारा 7(क) के अनुसार अधिनियम के अधीन अपराधों के बारे में कार्यवाही करने के लिए सक्षम है, किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं कर सकता, जब तक कि अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर शिकायत न की गयी हो । यह सच है कि इस उपबंध के अंतर्गत, यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष ही, बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपराध होने के बारे में जानकारी हो, शिकायत कर सकता है, परन्तु शादी में आमंत्रित व्यक्ति, जिन्हें अपराध होने के बारे में जानकारी होगी, कभी कभी ही शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आते हैं । कानून के अंतर्गत पीड़ित पक्ष से भी कार्यवाही करने की आशा करना समान रूप से निरर्थक है, क्योंकि वधू के माता-पिता, जो सामान्यतः पीड़ित होते हैं, शिकायत करने के प्रति संकोच और अनिच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता है कि इसके कारण उनकी पुत्री को पीड़ित किया जायेगा । इसलिए इस बुराई के उन्मूलन की तो बात ही छोड़िए, इस अधिनियम का इस बुराई पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है ।

1.27. यह भी एक क्षोभ की बात है कि देश में शिक्षा प्रसार होने पर भी इसका दहेज के बारे में लोगों के दिमागों पर कोई भी उदारतापूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके प्रतिकूल, शिक्षा ने शहरी, ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में दहेज की मांग को बढ़ाया है । समिति "भारत की नारी की स्थिति पर समिति" द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गयी टिप्पणियों से पूर्णतया सहमत है कि "शिक्षित युवा वर्ग दहेज की बुराई से पूरी तरह अनभिज्ञ है और बेझिझक उसको बढ़ावा देने में सहायक हो रहा है।"

1.28. समिति इस बात से अवगत है कि दहेज प्रथा की विद्यमानता एक सामाजिक समस्या है और समाज में इसके प्रति सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करके ही इसका हल ढूंढा जा सकता है तथा इस बुराई का उन्मूलन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रत्येक समय व अवसर पर इसके विरुद्ध आम सामाजिक विद्रोह न हो । तथापि समिति तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिनांक 6 मई, 1961 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दहेज निषेध विधेयक पर बहस के दौरान की गयी निम्नलिखित टिप्पणियों को याद करती है :

> "सामान्यतया विधान अपने आप में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता । उन्हें अन्य तरीकों से भी सुलझाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए विधान भी आवश्यक व अनिवार्य है, जिससे कि उसे बल मिल जाये और जानकारी प्राप्त हो सके तथा साथ साथ उसके पीछे कानूनी सहमति हो जिससे जनमत को एक निश्चित रूप प्रदान किया जा सके।"

समिति "भारत में नारी की स्थिति पर समिति" द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रकट किए गए मत से भी सहमत है कि अधिनियम की नीति और उद्देश्यों को सख्ती से लागू करने पर ही अच्छा जनमत बन सकता है।

1.29. समिति को इसमें कोई शक नहीं कि यदि अधिनियम की सभी संभावित कमियों को दूर कर दिया जाए और इसके प्रावधानों को पूरी तरह से बिना भय तथा पक्षपात के क्रियान्वित किया जाए और कानून तोड़ने वालों के लिए प्रतिरोधक दंड का प्रावधान किया जाए और उसे लागू किया जाये तो कोई कारण नहीं कि इस सामाजिक विधान का कोई परिणाम न निकले। इसके साथ साथ समिति यह भी महसूस करती है कि सामाजिक विधान की आवश्यकता का व्यापक प्रचार किया जाये तथा इसके संबंध में उचित जनमत तैयार किया जाये जिससे समाज इस विधान को स्वेच्छा से तथा उचित तरीके से स्वीकार करे।

अध्याय दो

देश के विभिन्न भागों में दहेज प्रथा

(क) दहेज प्रथा की वर्तमान स्थिति

2.1. यद्यपि दहेज प्रथा सारे भारत में विद्यमान है तथापि देश में कुछ समुदाय अथवा वर्ग इस प्रकार के थे जो कुछ दशक पहले तक अपेक्षाकृत इस प्रथा की बुराई से मुक्त थे, अधिकतर मुस्लिम समुदायों तथा केरल के बाहर रहने वाले गैर-कैथोलिक ईसाइयों और पारसियों में दहेज विवाह संस्कार का अनिवार्य अंग नहीं था गुजरात में नागर ब्राह्मणों, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों और माथुर कायस्थों में दहेज प्रथा नहीं थी। महाराष्ट्र में भी बहुत सी जातियों में दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी। **लेकिन आज इन समुदायों ने भी दहेज लेना आरंभ कर दिया है और वे इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं।**

2.2. हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा बुरी तरह फैली हुई है। **व्यवहार्यतः सभी राज्यों में लगभग सभी हिन्दू जातियों में दहेज का प्रचलन है।** इसी प्रकार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में **अग्रवाल** तथा अन्य **वैश्य** वर्गों में तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में **राजपूतों** और **कायस्थों** एवं जमीदारों में भी दहेज प्रथा विद्यमान है। दक्षिण में **रेड्डी, कामा, वैलमा व्यापारी** और सम्पन्न **ब्राह्मण, वैलाला, मूदालियर चेट्टियार, वैश्य** जातियों तथा कुछ लिंगायत वर्ग और ईसाई लोग (केरल में) भारी दहेज के लोभ के लिए प्रख्यात हैं।

2.3. लगभग सभी राज्यों में हिन्दुओं में सभी प्रतिष्ठित वर्गों में दहेज का प्रचलन है। इस समय मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी यह समान रूप से प्रचलित है। देश के बहुत से भागों में मुसलमानों में निकाह के बाद दूल्हे को नकदी के रूप में कुछ राशि देने (जिसे सामान्य रूप से सलामी कहा जाता है और दुल्हन के माता-पिता द्वारा दुल्हन को कपड़े और जेवरात दिये जाने का भी रिवाज है। जबकि विवाह के अन्य खर्चों को भी दुल्हन के माता-पिता को वहन करना पड़ता है। मंगलौर के ईसाई धर्म परिवर्तन से पूर्व के अपने कन्यादान संस्कार का अनुसरण करते हैं। यह बताया गया है कि उच्च साक्षरता प्रतिशत तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले राज्य केरल में दहेज की विद्यमान दरें इतनी अधिक है कि बड़े परिवारों की अनेक ईसाई लड़कियों के लिए विवाह करना असंभव हो गया है और उन्हें विवश होकर ईसाई मठों की शरण लेनी पड़ती है या निराश होकर अन्य राज्यों में रोजगार तलाश करना पड़ता है। वस्तुतः आज के समय में चाहे धर्म की दृष्टि से देखा जाये अथवा क्षेत्रीय या अन्य दृष्टि से प्रदर्शनात्मक उपभोग और दहेज के स्वरूप तथा उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है।

2.4. कई मामलों में काले धन और बे-हिसाब की आय का इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है। अब यह एक बहुत बड़ी घूस का रूप धारण कर रहा है जिससे उच्च सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा वाले परिवारों के अच्छी नौकरी पर लगे वरों के साथ विवाह करके लड़कियों का भविष्य खरीदा जाता है। इस प्रकार वे विवाह बाजार में अन्य

लोगों की अपेक्षाओं को बढ़ाते हैं और ईमानदार तथा सीमित साधनों वाले व्यक्ति ही इससे पीड़ित हैं। और उन्हें अपनी प्रतिभावान और सुन्दर पुत्रियों के लिए भी उपयुक्त वर ढूंढने में असीम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के परिवारों की लड़कियों में लिपकीय कार्य करने अथवा परिचर्या व्यवसाय अपनाने या सेल्स गर्ल्स के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जिससे वे अपने दहेज के लिए धन कमा सकें और उसका संचय कर सकें।

2.5. समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरव को माता-पिता द्वारा अपनी पुत्री अथवा पुत्र के विवाह पर किये गये खर्च के अनुसार आंका जाता है। जिस लड़की के विवाह में अधिक दहेज दिया जाता है तथा विवाह पर अन्य खर्चे बहुत अधिक होते हैं, समाज में उसके परिवार का गौरव तथा प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती है। दहेज को परिवार के उच्च सामाजिक दर्जे के प्रतीक के रूप में माना जाता है और इसे अवैध अथवा अनैतिक नहीं माना जाता और न ही समाज में लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। लोग अधिक दहेज वाले विवाहों की गौरव के साथ विस्तार से चर्चा करते हैं जिससे अन्य लोगों में अपने पुत्रों के विवाह में दहेज प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। वे लोग भी, जिन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह में इस कुप्रथा की पीड़ा का अनुभव किया है, अपने पुत्रों के विवाह में दहेज पाने के इच्छुक रहते हैं। यह दहेज प्रथा का सबसे घातक और दुखद पहलू है।

2.6. ऐसे समय में जबकि अधिक विकासशील समाज/मानवीय संबंधों को विवाह के लिए आधार के रूप में स्वीकार करने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय समाज शोषण की कुरीति में, जो यह प्रथा एक रूढ़ि बन गयी है और अधिक गहरा पैठता जा रहा है यह प्रथा युवा वर्ग के निकट संबंधियों के बीच रिश्तों को पूर्णतया व्यावसायिक बनाती जा रही है।

2.7. यह बताया गया है कि विभिन्न व्यवसायों एवं रोजगारों में लगे व्यक्तियों के लिए दहेज के पृथक पृथक स्तर स्पष्टतः निश्चित हैं। उदाहरणार्थ संपन्न समुदायों से संबंधित एक भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा वाला लड़का नकद या वस्तुओं के रूप में कुछ लाख रुपयों की आशा, आसानी से कर सकता है। उसके पश्चात् व्यापारिक संस्थानों के अधिकारी वर्ग का स्थान है। इंजीनियरों और डाक्टरों का इस क्रम में निचला स्थान है। इस वर्ग के व्यक्ति यह आशा करते हैं कि विवाह से उन्हें न केवल वधू मिलेगी वरन् एक आधुनिक तथा आरामदायक गृहस्थी की स्थापना के लिए अन्य कीमती वस्तुओं के अतिरिक्त कार, रेफ्रिजिरेटर और रेडियोग्राम भी मिलेगा। इस प्रकार के लोग गति-निर्धारक का कार्य करते हैं और स्वभावतः समाज में अपने से निचले स्थिति वाले लोगों को इस अनिष्ट-कारी प्रथा का अनुसरण करने के लिए प्रभावित करते हैं।

अतः एक चपरासी या एक लिपिक भी साइकिल, ट्रांजिस्टर और घड़ी जैसी वस्तुओं की मांग करने में पीछे नहीं रहता या झिझकता नहीं है। मध्यवर्गीय परिवारों में स्कूटर और टेलिविजिन सेट की मांग करना एक आम बात हो गई है। बड़े शहरों में, आवासीय स्थान की मांग करना जो कि अत्यधिक मंहगा पड़ता है, प्रायः ही दहेज का एक भाग बन जाता है।

2.8. ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थिति और अधिक दुःखद बताई गई है। अपनी लड़कियों के विवाह में दहेज जुटाने के लिए किसान अपने खेत, बैल आदि बेचने पर मजबूर हो जाते हैं जो कि उनके जीवनयापन का एकमात्र साधन है। यह भी बताया गया है कि व्यापक दहेज प्रथा ग्रामीणों में बढ़ रही कर्जदारी का एक अन्य कारण है। किसान लोग प्रत्येक

वर्ष अपनी जमीन गिरवी रखकर महाजनों और सरकारी संस्थाओं से ब्याज की अत्यधिक ऊंची दरों पर ऋण लेते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि किसानों द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमुख भाग विवाह व अन्य सामाजिक उत्सवों पर खर्च किया जाता है और खेती के सुधार तथा उर्वरकों तथा उपकरणों आदि पर बहुत कम धन व्यय किया जाता है क्योंकि उनकी कृषि पैदावार उनके ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अत: प्रतिवर्ष उनके ऋणों में बढ़ोतरी होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप महाजन कर्जदारों की भूमि हथिया लेते हैं। इन कारणों से किसान वास्तव में भूमिहीन हो जाते हैं और ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है।

(ख) दहेज के कारण हुई मौतें अर्थात् दहेज प्रथा के कारण हुई हत्यायें आत्म हत्यायें एवं महिलाओं का जलाया जाना

2.9. **मनु द्वारा** रचित नीति शास्त्र संबंधी प्राचीन धर्मग्रन्थ **मनुस्मृति** में नारी के स्तर के विषय में भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत आदर्श निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है :

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

(जहां नारी की पूजा होती है उस स्थान पर देवता निवास करते हैं)

यह भी सच ही कहा गया है कि किसी समाज में सम्मता के स्तर का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मानदण्ड यह भी है कि उस समाज में नारी के साथ क्या भेदभाव बरता जाता है, उन्हें कितना आदर दिया जाता है तथा समाज में उनका क्या स्तर है, प्राचीन काल में जब भारतीय समाज में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तब भारतवर्ष को विश्व में सबसे सभ्य राष्ट्र माना जाता था।

2.10. तथापि यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य एवं क्षोभ होता है कि भारतीय समाज में जहां लगभग आधी जनसंख्या **अर्थात्** नारी जिनकी किसी समय पूजा की जाती थी और उन्हें बहुत अधिक आदर दिया जाता था, आज दहेज प्रथा की बुराइयों के कारण उन्हें दुख दिये जाते हैं, तंग किया जाता है, उनका परित्याग कर दिया जाता है, उन्हें तलाक दे दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है तथा उन्हें आत्महत्या करने पर बाध्य किया जाता है।

2.11. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा उस अधिनियम में किये गये संशोधन जिसे विभिन्न राज्य सरकारों ने पारित कर दिया है के लागू होने तथा इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किये गये कई उपायों के बावजूद दहेज प्रथा की बुराइयों के कारण बहुत सी विवाहित महिलाओं को तंग करने, कष्ट देने, उनकी हत्या करने, उन्हें जलाने और यहां तक कि आत्महत्या करने पर बाध्य करने के बहुत से मामले सामने आये हैं।

2.12. गुजरात में आत्महत्या जांच समिति (मई 1960 से अप्रैल 1964) के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में आत्महत्या करने वालों में 90% महिलाएं थीं)। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि घरेलू **विवादों** से दुखी होकर 867 महिलाओं ने आत्महत्या की जबकि इसके मुकाबले इसी कारण से केवल 302 पुरुषों ने आत्महत्या की थी। समिति ने यह भी नोट किया है कि पारिवारिक **तनाव** के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारण, विशेष तौर पर निर्धन लड़कियों के मामले में, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्याएं होती हैं,

दहेज एवं उससे संबंधित रिवाज हैं । लड़कियों को अपने विवाह में भारी दहेज न लाने के कारण ताने सुनने पड़ते हैं और अपमानित होना पड़ता है।

2.13. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किये गये सभी उपायों के बावजूद आंकड़ों से ज्ञात होता है कि दहेज के कारण महिलाओं को तंग किये जाने एवं मृत्यु के बहुत से मामले हुए । समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं के आधार पर किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 1975 में पत्नी को जलाने की 670 दुखद घटनाएं घटीं । इन आंकड़ों में नव विवाहित महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्या के मामले शामिल नहीं हैं । पत्नी को जलाने के कुल दुखद मामले जो 1979 में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, में से 744 मामले उत्तर प्रदेश के थे और 364 महाराष्ट्र एवं 249 आंध्र प्रदेश के थे । दिल्ली में 148, राजस्थान में 98, पश्चिम बंगाल में 48, पंजाब में 23 और तमिलनाडु और कर्नाटक प्रत्येक में 2 घटनाएं घटित होने के समाचार छपे थे । इनमें से अधिकतर मामलों में, संबंधित पक्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबन्धों की सहायता प्राप्त नहीं करना चाहते थे।

2.14. वर्ष 1978 के दौरान देश भर में दहेज के कारण हुई मौतों की 35 घटनाएं समाचार पत्रों में छपी थी । इनमें से केवल 8 मामलों में दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सकी। 1979 में देश में दहेज के कारण मरने वाली महिलाओं की सख्या बढ़कर 54 हो गई जिनमें से केवल 2 मामलों में दोष सिद्ध हो सका।

2.15. दिल्ली में दहेज के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जैसा कि 1980, 1981 और 1982 (अब तक) के दौरान दिल्ली पुलिस के पास दर्ज इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है :—

अवधि	पुलिस के पास दर्ज मामलों की संख्या जिनमें मृत्यु द हेज के कारण हुई ।
1 जनवरी से 30 जून, 1980	9
1 जनवरी से 30 जून, 1981 —	11
1 जनवरी से 30 जून, 1982 . . .	19

2.16. देश के विभिन्न भागों में यह समस्या गम्भीर होती जा रही है, जैसा कि 1979, 1980 और 1981 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के बारे में प्रकाशित समाचारों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

राज्य	1979	1980	1981
गुजरात . .	—	1	2
उड़ीसा . .	1	2	5
उत्तर प्रदेश . .	10	16	30

2.17. समिति महसूस करती है कि यद्यपि उपर्युक्त पैरा में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है तथापि ऐसे बहुत से मामले होंगे जो समाचार पत्रों में प्रकाशित न हुए हों अथवा पुलिस में दर्ज न कराये गये हों, चूंकि दहेज प्रथा की समस्या देश भर में फैली हुई नहीं है, परन्तु हो सकता है ऐसे हजारों मामले हों जो जानकारी में नहीं आये और पुलिस में दर्ज नहीं कराये गये जिनमें अपने ससुराल वालों या पतियों की दहेज संबंधी मांग को पूरा करने में उनके माता-पिता की असमर्थता के कारण विवाहित महिलाओं को तंग किया गया, अपमानित किया गया और कष्ट दिया गया हो ।

(ग) संयुक्त समिति की धारणा

2.18. देश भर में विद्यमान दहेज प्रथा से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के बारे में अध्ययन एवं जांच करने के दौरान समिति को इस विषय पर विभिन्न ज्ञापन, टिप्पणियां/सुझाव और अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई थीं । समिति ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया था और सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों के विचार सुने जिनमें विभिन्न महिलाओं एवं स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, बार कौंसिलो एवं बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्ति शामिल थे, जो समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

2.19. समिति ने देखा है कि दहेज प्रथा भारत भर में बढ़ती जा रही है और अब यह प्रथा विभिन्न समुदायों एवं धर्मों के उन सभी वर्गों में प्रचलित हो गई है जिसमें पहले यह प्रथा नहीं थी । इसकी सीमा अर्थात् मात्रा सम्बद्ध पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है और विभिन्न क्षेत्रों में यह भिन्न-भिन्न है । दहेज के मामले में निन्दनीय बात उसका बाध्य स्वरूप है और इसके परिणामस्वरूप विवाह के लिए भारी लेन-देन करना होता है ।

2.20. समिति ने नोट किया है कि दुल्हन और दुल्हा के दो परिवारों के बीच निरन्तर रहने वाले संबंध में विवाह, शिशु-जन्म, दीक्षा आदि के संबंध में भेंटों, त्योहारों तथा समारोहों जैसे विशिष्ट अवसरों पर, विशेषकर कि विवाह के पहले कुछ वर्षों में विशेष रूप से उपहार देना होता है । यह एक सामान्य अवलोकन एवं अनुभव की बात है कि ऐसे उपहार देने में दुल्हन के परिवार पर भारी दबाव पड़ता है । इन बाद के खर्चों को प्रायः दहेज के शुरू के देने में हुई कमियों के लिए पूर्ति करने के रूप में समझा जाता है और इससे लड़की के माता-पिता के लिए गम्भीर कठिनाई पैदा हो जाती है । अधिकांश मामलों में विवाह के पहले कुछ वर्षों में पति के घर में लड़की के प्रति व्यवहार इन उपहारों के साथ जुड़ा होता है । वास्तव में विवाह के काफी समय के पश्चात् भी निर्दयता के बहुत अधिक मामले दिखायी पड़ते हैं जो मुख्य रूप से प्रायः लड़की के माता-पिता से की गयी अति लोभी मांगों के फल-स्वरूप होते हैं । इस प्रकार "दहेज" विवाह के समय शुरू में एकमात्र भुगतान नहीं है बल्कि विवाह के पूर्व तथा पश्चात् काफी समय उपहारों के देने का एक सिलसिला बना रहता है । यद्यपि भुगतान करने के विभिन्न तरीकों में जो दहेज बनता है वह विवाह के समय दिया और लिया जाता है । इस तथ्य को देखते हुये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और विशिष्ट है कि यह प्रथा खले तौर से निर्विवाद रूप से तब भी जारी है जबकि 1961 का अधिनियम विशेष रूप से दहेज के लेने के लिए निषेध करता है ।

2.21. समिति ने यह भी नोट किया है कि भारत के अनेक भागों में लड़की का जन्म एक दुख की बात समझी जाती है । बाद में दिये जाने वाले दहेज के कारण एक

लड़की सारे परिवार पर दुख का साया डाल देती है और यह स्थिति लड़की के विवाह होने तक बनी रहती है और प्रायः विवाह के काफी समय तक और कई बार मृत्यु तक यह बनी रहती है जबकि पीड़ित लड़की को शान्ति मिलती है । अतः भारत के संविधान के द्वारा नारी पुरूष के बीच तथाकथित दर्जे और अवसर की समानता की गारंटी दहेज प्रथा की सामाजिक बुराई के कारण पूरी तरह निष्फल हो जाती है ।

2.22. इस देश में धार्मिक और सामाजिक दर्शन भी मानव मूल्यों के महत्व पर जोर देता है । धन के लालच को हमारे धर्मग्रन्थों में मनुष्य और समाज के विरुद्ध एक अत्यन्त गम्भीर अपराध समझा गया है। फ़िर भी यह धन का लालच ही है जो दहेज प्रथा के प्रकट होने तथा जारी रहने के लिए जिम्मेदार है । धारणा और व्यवहार के बीच यह सुस्पष्ट अन्तर हमारे सामाजिक दम्भ को दर्शाता है जो बहुत बड़े पैमाने पर विद्यमान है ।

2.23. समिति बड़ी चिन्ता के साथ यह नोट करती है कि दहेज की भावना, जैसी कि देश में प्रचलित है, और इसमें अन्तर्ग्रस्त लेन-देन, विशेषकर जो कि उच्च मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग स्तरों पर है, समाज के समाजवादी आदर्श के लक्ष्य के विरुद्ध जाते हैं क्योंकि उनका ठाट-बाटपूर्ण व्यवहार सामाजिक आर्थिक समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ धनवान लोगों को छोड़ कर दहेज के मामले में सभी को अपने साधनों से अधिक खर्च करना पड़ता है ।

2.24. इस समस्या के अपने अध्ययन के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि देश में समाज के प्रायः सभी वर्ग दहेज के हमेशा बढ़ते हुए इस भार के बारे में कड़वाहट महसूस करते हैं। माता-पिता के सीमित साधन तथा दहेज के लिए असामान्य मांगों से माता-पिता तथा लड़कियों के मन पर भारी दबाव पड़ता है जिसके अनेक बार अवांछनीय परिणाम निकलते हैं ।

2.25. यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से देश में दहेज की सभी वर्गों द्वारा निन्दा की जाती है, फिर भी वास्तविक जीवन में उनमें से अनेक इस बुराई में भाग लेने वाले होते हैं । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार यह देश में सामाजिक बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई बन गई है । कुछ मामलों में इसके परिणामस्वरूप नवविवाहित लड़कियों की हत्यायें हुई हैं, कुछ मामलों में उन्हें इस कारण से जला दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली निर्दयता से उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है । अनेक मामलों में इसके परिणामस्वरूप ससुराल में सम्बन्धियों द्वारा दुल्हनों को उनके मात-पिता के घरों को अधिक दहेज लाने के लिए भेजने सहित उनको परेशान, उत्पीड़ित तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अनेक मामलों, में इसके कारण वैवाहिक सम्बन्ध बिगड़ गये हैं और इसके परिणामस्वरूप तलाक हुए हैं । कुछ मामलों में लड़कियों के लिए उपयुक्त वरों को पाना कठिन हो गया है और इस प्रकार उन्हें अविवाहित रहने के लिए विवश कर दिया है ।

2.26. समिति यह महसूस करती है कि दहेज प्रथा की बुराइयां, जिसके परिणामस्वरूप हत्यायें, आत्महत्यायें, जलाये जाने की घटनायें हुई हैं, जिन्हें सामान्यतया "दहेज की बलि" के

रूप में जाना जाता है, देश भर में नवविवाहित युवा लड़कियों के संतापन तथा उत्पीड़न से योरोपीय देशों में विद्यमान "माफ़िया" के समान भारत में भी भय मनोविकृति पैदा हो रही है । समिति का विचार है कि इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों को सभी ओर से अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से आलोचना किये जाने की आवश्यकता है और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है ।

2.27. समिति का यह दृढ़ मत है कि ऐसे सामाजिक सुधारों से पूर्व सर्वोत्तम बात यह की जानी चाहिए कि सामाजिक विचारधारा और व्यवहार में परिवर्तन लाया जाये और सुदृढ़ लोक मत तैयार किया जाये । कानून केवल तभी कारगर सिद्ध हो सकते हैं जब कि उनका समाज के प्रमुख वर्गों द्वारा समर्थन किया जाये । सामाजिक वातावरण तथा देश के कानूनों के बीच व्यापक अन्तराल के परिणामस्वरूप वैमनस्य पैदा हो जाते हैं जो समुदाय के हित में अच्छे नहीं होते । निस्सन्देह कानूनों को समाज- कल्याण हेतु हथियारों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और वास्तव में कानून का यह कार्य है कि वह समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करे ।

यद्यपि एक ऐसी सीमा है जहां तक कानून समुदाय के सोचने तथा सामाजिक वातावरण के आगे जा सकता है । यदि कानून बहुत आगे जाता है, तो उन्हें रुकना होगा और अपने पगों को वापस लाना होगा । किन्तु यदि कानून बढ़ते हुए समाज में गतिहीन रहते हैं, तो वह उस स्थिति में समय के साथ साथ आगे बढ़ने में विफ़ल रहने के कारण अपनी कार्य-कुशलता एवं उपयोगिता खो देंगे । यद्यपि कानून और सामाजिक प्रगति के बीच पारस्परिक प्रभाव अनिवार्य है, तथापि, सामाजिक सोच विचार तथा कानूनी प्रक्रियाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखना भी आवश्यक है ।

समिति का यह भी विचार है कि यदि किसी कानून के द्वारा परिणामों को प्राप्त करना तथा उन्हें कारगर सिद्ध करना हो, तो दो शर्तों को पूरा किये जाने की आवश्यकता है । उस कानून के समर्थन में अनुकूल सामाजिक वातावरण का होना अनिवार्य है । अन्यथा वह कानून सम्बन्धित पुस्तक के एक अलंकरण से अधिक कुछ नहीं रहेगा । दूसरी आवश्यकता उक्त कानून को लागू करने की प्रशासनिक इच्छा है । यदि उस कानून को लागू करने के लिए प्रशासनिक इच्छा का अभाव है, तो वह कानून बेजान पत्र से अधिक बेहतर सिद्ध नहीं होगा ।

अध्याय तीन

सिफारिशें

3.1. समिति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के उपबन्धों के कार्यकरण की जांच करने के बाद यह महसूस करती है कि उसमें अन्त- विष्ट उपबन्ध देश में विद्यमान दहेज प्रथा की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने और इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है। समिति यह महसूस करती है कि व्यापक परिवर्तनों के लिए सुझाव देना पूरी तरह से अधिनियम की परिधि में नहीं आयेगा किन्तु विषय वस्तु की महत्ता और अविलम्बनीयता को देखते हुए और सामान्य रूप से महिलाओं तथा विशेष रूप से भावी वधुओं के व्यापक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफ़ारिशें दो भागों में देने का निर्णय किया है ---पहला भाग दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में विशेष संशोधनों के रूप में है तथा दूसरा भाग सरकार के विचारार्थ सामान्य सिफारिशों के रूप में।

भाग एक

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में सुझाये गये संशोधन

3.2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति की टिप्पणियां उत्तरवर्ती पैराओं में दी गई हैं।

3.3. **धारा** 2–दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को इस धारा में दी गई 'दहेज' शब्दावली की परिभाषा के अनुसार एक पक्ष, द्वारा चाहे वे माता पिता हो या कोई और व्यक्ति दूसरे पक्ष, को विवाह के समय या विवाह से पहले अथवा बाद में उसके प्रतिफ़ल के रूप में दी गई अथवा देने के लिए सहमत कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज समझी जाएगी किन्तु इसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि लागू होती है मेहर को शामिल नहीं किया गया है। व्याख्या के रूप में यह और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नकदी, गहनों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं को तब तक दहेज नहीं समझा जायेगा जब तक उन्हें विवाह के प्रति- फ़ल के रूप में दिया गया नहीं सिद्ध किया जाता है।

3.4 समिति का यह मत है कि यह सिद्ध करना कि कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या इस प्रकार से दिये गये उपहार "विवाह में प्रतिफल के रूप में" दी गई है लगभग असम्भव है क्योंकि यह स्पष्ट और सीधी सी बात है कि देने वाले अर्थात् माता पिता जो कि प्रायः इसके शिकार होते हैं, लड़की के हित में ऐसा नहीं कहेंगे और इस भय से कानून का सहारा लेने में हिचकिचायेंगे कि ऐसा करने पर उनकी लड़की को तंग किया जा सकता है। समिति का मत है कि इतने लम्बे समय से लागू रहने के बावजूद

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफ़ल रहने का एक कारण यह भी है ।

समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि उपर्युक्त शब्दों का लोप कर देने से यह परिभाषा अत्यंत व्यापक और उग्र हो जायेगी और इसलिये समिति अनिच्छा पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहूंची है कि उन शब्दों का लोप किये बिना इस अधिनियम के उपबंध उन प्रयोजनों को पूरा नहीं कर सकते जिन के लिये वे बनाये गये हैं।

3.5 समिति ने समस्या के प्रभावों को विभिन्न कोणों से जांच की अर्थात् वधू को दिये जाने वाले उपहार, वर तथा उसके परिवार के सदस्यों को दिये जाने वाले उपहार और विवाह सम्बन्धी अन्य खर्च । समिति का मत है कि न तो वधू को दिये जाने वाले उपहारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय है और न ही यह उचित लगता है कि उस पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक मानक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए क्योंकि न तो इसे कार्य रूप देना संभव होगा और न ही यह समाज को स्वीकार्य होगा । लड़की के हितों को सर्वाधिक ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वधु के माता-पिता कों भी अनावश्यक किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े,

समिति का मत है कि वधू के उत्तराधिकार या उस पर लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत मिलने वाले किसी सम्पत्ति अधिकार या किसी करार या उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत मेहर प्राप्त करने संबंधी वधू के अधिकार के अन्तर्गत उसके किसी सम्पत्ति अधिकार के अलावा उसे विवाह पर या उससे पहले अथवा बाद में नकदी, गहनों, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के रूप में उसके माता पिता संबंधियों, मित्रों आदि द्वारा स्वेच्छापूर्वक अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती के बिना दिये गये उपहारों का समग्र मूल्य वधू के माता पिता की या बधु के पक्ष की ओर से विवाह का खर्च वहन करने वाले अन्य व्यक्तियों की पिछले वर्ष की आय की 20 प्रतिशत से कम या पन्द्रह हजार रुपये, जो भी कम होने पर उसे धारा 3 के प्रयोजनों के लिये दहेज नहीं समझा जाना चाहिये । परन्तु समिति यह भी महसूस करती है कि वर के माता पिता और उसके संबंधियों द्वारा वधू को स्वेच्छा से दिये जाने वाले उपहारों को धारा 3 के (दहेज लेने संबंधी) प्रयोजनों के लिये दहेज नहीं माना जाना चाहिये ।

समिति के अनुसार यह आशा की जाती है कि यह सीमा माता पिता के सामर्थ्य में होगी और समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी।

3.6 समिति का यह भी मत है कि यह सुनिश्चित करने के लिये वधू को विवाह के समय या उससे पहले अथवा बाद में नकदी, गहनों, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिये जाने वाले उपहार केवल वधु के उपयोग के लिये ही हों, उनकी एक सूची बना ली जानी चाहिये और उन्हें वधू के नाम में पंजीकृत करा दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त यदि वधू की मृत्यु संदेहास्पद स्थितियों में और बिना संतान के होती है तो ऐसे उपहारों को उसके माता पिता को और उसके न होने पर उनके वारिसों को लौटा दिया जाये। यदि वह अपने पीछे कोई संतान छोड़कर मरती है तो वे उपहार उन संतानों को दे दिये जाने चाहियें। तलाक की स्थिति में इन्हें वधू को ही वापस कर दिया जाना चाहिये ।

समिति की यह भी राय है कि वधू की स्थिति को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपहारों का उसके पति या ससुराल वालों द्वारा किसी न किसी बहाने से दुरुपयोग न हो। इन्हें विवाह की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक वधु द्वारा पारिवारिक न्यायालय (या जो भी नाम दिये जाये) में किये गये आवेदन पर अनुमति मिले बिना अंतरित किये जाने या निपटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

3.7 समिति का विचार है कि देश में प्रचलित दहेज प्रथा की मुख्य समस्या वर-पक्ष की ओर से विभिन्न रूपों में मांगें जाने वाले उपहारों और विवाह को तड़क-भड़क के साथ करने पर होने वाले खर्च की है जिसके फलस्वरूप वधू के माता-पिता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर पक्ष की ओर से दहेज के लिए कोई दबाव न डाला जाए और विवाह में तड़क-भड़क की कुरीति को रोकने के लिए समिति का यह सुदृढ़ मत है कि देश में व्याप्त परिस्थितियों, को देखते हुए समय आ गया है जब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा है कि वर को या उसके परिवार के सदस्यों को दिये जाने वाले उपहारों तथा विवाह के सिलसिले में विभिन्न अवसरों पर सम्भावित कुल खर्चों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

3.8 समिति का मत है कि देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टि से तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि वधू के पक्ष की ओर से विवाह के खर्चों का वहन करने वाले अन्य व्यक्तियों या माता-पिता को कोई कठिनाई न हो, दूल्हे या उसके रिश्तदारों को स्वेच्छापूर्वक अर्थात् प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती के बिना विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात दिये गये या दिये जाने वाले उपहारों, यदि लड़की के माता पिता या वधू पक्ष की ओर से विवाह के खर्चों को वहन करने वाले अन्य व्यक्तियों की विवाह की तारीख से पहले के वर्ष की आय के तीन प्रतिशत मूल्य अथवा दो हजार रुपये, जो भी कम हो, को (दहेज लेने संबंधी) धारा 3 के प्रयोजनों के लिये दहेज नहीं माना जाना चाहिये,

3.9 समिति की यह भी राय है कि सगाई या विवाह से संबंधित अन्य समारोहों, सजावट, रोशनी, संगीत, भोजन तथा अन्य प्रासंगिक, व्यय, यदि वधू के माता पिता या वधू के पक्ष की ओर से विवाह के खर्चों को वहन करने वाले अन्य व्यक्तियों की विवाह की तारीख से पूर्ववर्ती वर्ष की आय के सात प्रतिशत या तीन हजार रुपये जो भी कम हों, से अधिक को दण्डनीय बनाया जाना चाहिये और उसके लिये तीन माह तक का कारावास और पांच हजार रुपये तक अथवा खर्च की सीमा से अधिक व्यय की गई राशि की दुगनी राशि जो भी अधिक हो, का जुर्माना किया जाना चाहिये :

3.10 खण्ड 3—खण्ड 3 में उपबन्धित है कि दहेज दिया या लिया जाना छः महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों सहित दण्डनीय होगा।

3.11 समिति महसूस करती है कि दहेज देने वाले अर्थात् माता-पिता की दहेज लेने वालों के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए। दहेज देने वाला अपराधी से अधिक पीड़ित है। माता-पिता या अभिभावक स्वेच्छा से कभी दहेज नहीं देते वरन् उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। फ़िर जब दहेज देने तथा लेने वाले दोनों ही दण्ड के भागीदार होंगे तो किसी दहेज देने वाले से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह शिकायत दर्ज कराएगा।

3.12 इसलिये, समिति का मत है कि केवल उन्हें जो दहेज लेते है या दहेज लेने के लिये प्रोत्साहित करते है, को ही इस प्रकार की बुराइयों को रोकने की दृष्टि से दण्डित किया जाना चाहिये और उन्हें बराबर की राशि जो भी अधिक हो के उपबन्धित किये जाने की आवश्यकता है। समिति की यह भी राय है कि इन अपराधों की सुनवाई करनें वालें न्यायालय को ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त तथा विशेष कारण हों न्यायालय को 6 माह से कम अवधि की कैद की दण्ड देने के स्वविवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति भी होनी चाहिये और भी अधिक सतर्कता बरतने की दृष्टि से, समिति चाहती है कि यह भी स्पष्ट किया जाये कि दहेज देने वाले को दहेज देने के लिये उत्प्रेरक के रूप में भी किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

3.13 खण्ड 4—खण्ड 4 में उपबन्धित है कि यदि कोई व्यक्ति बधु या वर के माता पिता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दहेज की मांग करेगा, तो वह छः महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही से दण्डनीय होगा। इसमें यह भी उपबन्धित है कि कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा जिसे इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

3.14 समिति महसूस करती है कि दहेज की मांग करने के लिए मिलने वाली सजा अत्यन्त अपर्याप्त तथा अप्रभावी है। समिति को यह जानकर चिंता हुई है कि देश में दहेज के लिए की जाने वाली मांगें बराबर बढ़ती जा रही है और जैसा कि दैनंदिन समाचार पत्रों की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इससे विवाह-योग्य आयु की युवा लड़कियों तथा उनके अभिभावकों के मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है।

3.15 अतः समिति का विचार है कि जैसा कि दहेज लेने के मामले में प्रस्ताव किया गया है उसी तरह दहेज मांगने के लिये भी निवारक दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये अर्थात् कम से कम दो वर्ष तक की कैद और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना। समिति महसूस करती है कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ सीमा तक मदद मिलेगी।

3.16 जहां तक इस अपराध के संज्ञान के लिये राज्य सरकार की पूर्वानुमान करने संबंधी उपबंध का संबंध है समिति का विचार है कि इससे विलंब होगा और इससे अपराधी पर मुकदमा चलाने में बाधा आयेगी अतः यह आवश्यक नहीं है।

3.17 नई धारा 4क तथा 4ख —विचार विमर्श के दौरान संयुक्त समिति को बार बार इस बात से अवगत कराया गया कि उत्पीड़न के विशिष्ट तरीकों अर्थात् दहेज लेने और मांगने के तरीके के अलावा उत्पीड़न के और दूसरे तरीके भी हैं अर्थात् दहेज न मिलने अथवा कम दहेज मिलने पर, पति द्वारा अपनी पत्नी को दाम्पत्य अधिकार प्रदान किए जाने से इंकार करना और पति अथवा उसके माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों द्वारा नव-विवाहिता को मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न पहुंचाना। विवाह के पश्चात् लड़की को दिए जाने वाले इस मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न से उसका जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है और उसके आवांछित परिणाम होते हैं।

3.18 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1976 में दिए गए उपबन्धों के अन्तर्गत, दहेज न मिलने अथवा अपर्याप्त दहेज मिलने के कारण पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों से इंकार किए जाने को दण्डनीय बना दिया गया है । इन उपबन्धों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कि दहेज नहीं दिया गया है या दिया गया दहेज अपर्याप्त है, अपनी पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से बंचित (इंकार) करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है अथवा जुर्माने से जिसकी राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा । कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पति द्वारा इस आशय का बन्धपत्र निष्पादित करने पर कि वह दहेज नहीं लेगा अथवा अपनी पत्नी कों उसके दाम्पत्य अधिकारों की अनुमति देगा, न्यायालय को कार्यवाही समाप्त करने का अधिकार दिया गया है । इस बंध-पत्र का उल्लंघन करने पर कार्यवाही स्वतः अपने आप आरम्भ हो जाती है । न्यायालय कों शक्ति दी गई है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए किए गये जुर्माने की राशि का एक भाग वह क्षतिपूर्ति के रूप में पत्नी को दिए जाने का निदेश देगा । न्यायालय कों यह व्यवस्था करने की शक्ति भी प्रदान की गई है कि वह पति के सिद्ध दोष ठहराये जाने पर पति द्वारा पत्नी के गुजारे के लिए उसे मासिक भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था कर सके ।

3.19 समिति का विचार है कि दहेज न मिलने अथवा कम दहेज मिलने के आधार पर पति द्वारा पत्नी को दाम्पत्य अधिकार प्रदान किये जाने से इंकार करने तथा उसे मानसिक अथव शारीरिक उत्पीड़न पहुंचाने पर एक वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक जुर्माने का दंड दिया जाना चाहिये ।

3.20 **धारा 6 :** इस धारा के उपबन्धों के अनुसार जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के सम्बन्ध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और यदि वह व्यक्ति उस दहेज का एक वर्ष के अन्दर (एक) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् (दो) यदि दहेज विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात् प्राप्त किया गया है तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् और (तीन) यदि वह उस समय जब बधु अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था, तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस स्त्री को नहीं लौटाता है जिसके विवाह के सम्बन्ध में वह दिया गया है तो उस व्यक्ति को छः मास तक का कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि दहेज को प्राप्त करने की हकदार स्त्री की यदि उसे प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस व्यक्ति से उस दहेज को मांगने के अधिकारी है जिसके पास कुछ समय के लिए वह दहेज रखा होता है ।

3.21 यद्यपि दहेज लेना अथवा मांगना 1961 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत, और इन धाराओं के वर्तमान प्रस्तावित संशोधनों में भी, निषेध है और दंडनीय है फ़िर भी देश में इसके स्वरूप और प्रचलित दहेज प्रथा को देखते हुए समिति को आशंका है कि इन उपबन्धों का अक्षरशः पालन किया जायेगा । **समिति महसूस करती है कि यद्यपि अधिनियम के लिये प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे प्रावधान है जिनसे उन मामलों में जिनमें दहेज दिया गया है और वह दहेज की हकदार स्त्री**

के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास है नियमों का उल्लंघन रोकने की आशा की जाती है, उस व्यक्ति को, दहेज प्राप्ति के 3 माह के अंदर उपर्युक्त पैरा 3.20 में बतायी गयी प्रत्येक परिस्थिति में, उसे लौटाना होगा।

3.22 समिति यह भी महसूस करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दहेज का, जो लड़की के लाभ के लिए दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग न किया जाये, जो कुछ समय तक इसे अपने पास रखता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के व्यतिक्रम के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः समिति का विचार है कि यदि दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्धारित समयावधि में अन्तरण नहीं करता है तो वह कम से कम 6 मास का कारावास जिसे दो वर्ष किया जा सकता है अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

3.23 समिति महसूस करती है कि ऐसे मामलों में जहां दहेज प्राप्त करने से पूर्व ही स्त्री की मृत्यु हो जाती है स्त्री के उत्तराधिकारियों को उक्त दहेज का अन्तरण करने सम्बन्धी उपबन्धों को और अधिक स्पष्ट बनाया जाना चाहिए और उत्तराधिकारियों की सूची में स्त्री के पति को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि ऐसे मामलों में दहेज स्त्री के माता-पिता को जिनके न होने पर उस स्त्री के उत्तराधिकारियों को यदि मृत्यु बिना कोई संतान छोड़े होती है, और संतान को, यदि मृत्यु संतान छोड़कर होती है, लौटा दिया जाना चाहिये। समिति का आगे यह भी विचार है कि जहां स्त्री की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होती है और उस स्त्री का पति या उसकी माता या पिता के बारे में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होंने उस स्त्री की दहेज के लिये हत्या की है अथवा हत्या करने के लिये उकसाया है वहां संतानों को विरासत में मिली सम्पत्ति की देखभाल न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी संरक्षक द्वारा तब तक की जायेगी जब तक संतान व्यस्कता की आयु प्राप्त न कर लें।

3.24 धारा 7—इस धारा में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण या अपराध का संज्ञान, अपराध की तिथि से एक वर्ष के अन्दर शिकायत किये जाने पर, नहीं करेगा।

3.25 समिति यह महसूस करती है कि दहेज संबंधी अपराधों की सुनवाई जो नाजुक किस्म के होते हैं, साधारण न्यायालय में नहीं होनी चाहिए। समिति का विचार है कि अमरीका,

जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों की भांति पारिवारिक मामलों तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों की सुनवाई के लिए परिवार न्यायालय होने चाहिएं। समिति को बताया गया है कि विदेशों में ये परिवार न्यायालय अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और साधारण न्यायालयों की तुलना में अधिक कारगर हैं क्योंकि किसी विशेष सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए इन्हें समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा सामाजिक कार्य-कर्ताओं की सहायता उपलब्ध है। समिति महसूस करती है कि परिवार की समस्यायें बड़ी नाजुक होती हैं और उन पर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है, और उन पर भिन्न प्रकार से कार्यवाही करनी होती है। समिति महसूस करती है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया अधिक सरल होनी चाहिए, वातावरण कम औपचारिक होना चाहिए और इसके लिए गोपनीय वातावरण भी आवश्यक है।

3.26 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के लागू होने के पश्चात् "प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेटों" और "प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों" को क्रमशः "मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों" और "प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों" के नाम से जाना जाता है। समिति चाहती है कि उनके नामों में तदनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए।

3.27 इसलिए, समिति का यह विचार है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की केवल पारिवारिक अदालतों में ही सुनवाई की जानी चाहिए। जब तक पारिवारिक अदालतों का गठन नहीं हो जाता तब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की सुनवाई केवल ऐसी अदालत में की जानी चाहिए जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से छोटी न हो।

3.28 समिति नोट करती है कि क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध असंज्ञेय होते हैं, इसलिए इसके उपबन्धों में उस लड़की के माता पिता-अथवा संरक्षक द्वारा शिकायत दर्ज कराने की अपेक्षा की गई है जिन्होंने दहेज दिया हुआ है। समिति महसूस करती है कि यह सोचना बिल्कुल ही अवास्तविक है कि विवाह के पश्चात् माता-पिता अपनी लड़की के हितों के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज कराना चाहेगा। इसलिए समिति का यह विचार है कि लड़की के माता-पिता तथा संबंधियों के अलावा पुलिस और पंजीकृत सामाजिक संगठनों को भी शिकायत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि शिकायत दर्ज कराने की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि बहुत से मामलों में ये अपराध शादी के बहुत दिनों के बाद उस समय प्रकाश में आते हैं जबकि स्त्री अपने पति और सास-ससुर आदि द्वारा निरंतर प्रताड़ित एवं पीड़ित किए जाने पर उनके विरुद्ध कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाती है।

3.29 धारा 8—इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी अपराध असंज्ञेय जमानती और गैर क्षमनीय होता है।

3.30 समिति महसूस करती है कि हालांकि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाये जाने के पक्ष में है लेकिन इस में एक आशंका है कि इससे विशेष रूप से विवाह के उत्सव पर कुछ परेशानी पैदा हो सकती है क्योंकि ऐसे मामलों

में पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तारियां करने के अधिकार हैं। इसलिए समिति का यह विचार है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पक्षों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाये, इस शर्त पर संज्ञेय बनाया जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी द्वारा कोई भी गिरफ्तारी बिना वारंट के अथवा किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं की जाएगी।

3.31 समिति का यह भी विचार है कि जहां संबंधित पक्ष की गई शिकायत पर न्यायालय के समक्ष समझौता करने के लिए सहमत हों वहां पर न्यायालय की अनुमति से ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अनुसार क्षमनीय बनाया जाना चाहिए। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, इस मामले को फिर से खोलने के लिए आवेदन पत्र देने पर अदालत उस मामले को दुबारा खोल सकती है।

3.32 नई धारा 8क—अपने विचार-विमर्श के दौरान समिति को यह सूचित किया गया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता का एक कारण यह भी है कि इसके उपबन्धों के समुचित प्रवर्तन के लिए अथवा दहेज पीड़ितों को उनके मामलों का अभियोजन करने में अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है। समिति की यह राय है कि यदि कोई ऐसा तंत्र उपलब्ध करा दिया जाये जो जरुरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सके तो दहेज संबंधी बहुत सी दुखान्त घटनाओं को रोका जा सकता है और दहेज पीड़ितों को अपेक्षित सहायता भी दी जा सकती है।

3.33 इसलिए, समिति की यह राय है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करें। समिति की यह भी राय है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस अधिनियम और इस अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए इसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन समुचित कार्यवाही करे, इन उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य इकट्ठा करें, दहेज की मांग से सताये हुए व्यक्तियों को सलाह दें और उनकी यथासंभव सहायता करें और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करें।

राज्य सरकार को चाहिए कि प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी के साथ एक गैर-सरकारी परामर्शदात्री निकाय को संबद्ध करे जिसमें महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कम से कम पांच सामाजिक कार्यकर्ता हों जो अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में जाने पहचाने हों और जो उसके कार्यों के कुशल निष्पादन में उसकी सहांायता कर सकें। और उसे सलाह मशविरा दे सकें। राज्य सरकार को चाहिए कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी प्रदान करे क्योंकि यह अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होगा।

3.34 नई धारा 8 ख—समिति का यह मत है कि अधिनियम के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को ही अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी वार्षिक

रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इसे क्रमशः संसद् के प्रत्येक सदन तथा विधान सभा अथवा राज्य विधान मण्डल की प्रत्येक सभा जैसा भी मामला हो, के पटल पर रखना चाहिए ।

3.35 धारा 9--समिति चाहती है कि इस धारा जो, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, को इस विषय पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की इस सम्बन्ध में नवीनतम सिफारिशों के अनुरूप बनाया जाये ।

3.36 नई धारा 9क--समिति अनुभव करती है कि केन्द्र सरकार को नियम बनाने से सम्बन्धित दी गई शक्तियों के समान शक्तियां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों को भी दी जायें, क्योंकि राज्य सरकारें ही नियमों को अधिशासित करती हैं ।

3.37 समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि दहेज के इस गम्भीर और ज्वलन्त समस्या के महत्व और अपरिहार्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सुझावों के साथ 1961 के अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए अथवा 1961 के अधिनियम को निरस्त करते हुए उपर्युक्त सिफारिश के साथ एक नया विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।

भाग-दो

सामान्य सिफारिशें

3.38 संयुक्त समिति ने देश में प्रचलित दहेज प्रथा की समस्या के विभिन्न पहलुओं से स्वयं को अवगत कराने तथा इसके उन्मूलन के लिए समाज के प्रतिनिधि समूह के विचारों का पता लगाने की दृष्टि से बड़ी संख्या में ज्ञापन, जिन में टिप्पणियां/सुझावों दिए गए थे और इस विषय के बारे में जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त किए और सारे देश में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। समिति ने इन दौरों के समय सरकारी और गैर सरकारी दोनों अधिकारियों, जिन में विभिन्न महिला तथा स्वयंसेवी समाज संगठनों, बार कौंसिलों, बार-एसोसिएशनों के प्रतिनिधि व्यक्ति आदि सम्मिलित थे, के साथ औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं की ।

3.39. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की जाँच करते समय समिति को सूचित किया गया था कि देश में प्रचलित दहेज प्रथा की बुराइयों के अलावा अधिकारों, दर्जा और आर्थिक स्थिति से संबंधित अन्य बातें हैं जिन से भारतीय महिलाएं पीड़ित हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए कई सुझाव दिए गए थे ।

3.40. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबन्धों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों की जांच करने के पश्चात् समिति का यह विचार है कि यद्यपि अधिनियम में किए गए उपबन्ध दहेज प्रथा की समस्या तथा अन्य मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए अपर्याप्त हैं फिर भी व्यापक परिवर्तनों का सुझाव देना सही अर्थ में अधिनियम की व्याप्ति क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आयेगा। तथापि, विषय वस्तु के महत्व और अविलम्बनीयता पर विचार करते हुए तथा सामान्य रूप से नारी जाति और विशेष रूप से भावी वधुओं के दीर्घकालिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समिति ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए दिए गए विशिष्ट सुझावों के अलावा सरकार के विचार के लिए कतिपय सिफारिशें करने का निश्चय किया है।

3.41. समिति की राय है कि भारतीय समाज में विद्यमान दहेज प्रथा की बुराई का उन्मूलन करने और भारत में महिलाओं के खोए हुए गौरव के महत्व को पुनः प्राप्त कराने तथा समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थान दिलाने की दृष्टि से 1961 के अधिनियम में सुझाये गए संशोधनों के अलावा कुछ कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार या तो विषयवस्तु से सम्बन्धित संगत विद्यमान कानूनों में संशोधन करके या उपयुक्त कानून बना कर, यदि आवश्यक हो, या उपयुक्त अनुदेश जारी करके निम्नलिखित मामलों को विनियमित करने की व्यवहार्यता पर विचार करे ।

(1) जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के समान ही विवाह का भी अनिवार्य पंजीकरण ।

(2) दहेज प्रथा की बुराई समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के माध्यमों जैसे रेडियो, टी० वी०, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को उत्पन्न किया जाना।

(3) दहेज प्रथा की बुराई समाप्त करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं को पाठ्यपुस्तकों में शैक्षणिक सामग्री का शामिल किया जाना।

(4) अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना

(5) विवाह-पूर्व समारोहों जैसे "सगन" "ठाका" "तिलक" आदि पर रोक लगा या जाना।

(6) विवाह समारोहों के समय मेहमानों की संख्या भोजन परोसने, सजावट आदि पर प्रतिबन्धों का लगाया जाना

(7) सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज देने, लेने अथवा मांग न करने के बारे में घोषणा किया जाना।

(8) दहेज देने, लेने के मामलों की जांच के लिए आय कर कानूनों के अधीन जांच करने का प्रावधान किया जाना।

(9) केन्द्र, राज्य और सरकारी उपक्रमों की विभिन्न स्तरों की सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण किया जाना।

(10) दहेज प्रथा के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था।

(11) परिवार न्यायालयों की स्थापना।

(12) बहुओं को उनके माता-पिता के यहां जाने से रोकने को अपराध घोषित किया जाना।

(13) उत्तराधिकार और अन्य सम्बद्ध कानूनों में पुत्र-पुत्रियों को बराबर अधिकार देने की व्यवस्था।

(14) देश के लिए सम समान सिविल संहिता के बारे में कानून बनाया जाना।

(15) विवाह टूट जाने पर बच्चे अथवा बच्चों की मांग को सुपुर्द किया जाना और उसे रख-रखाव भत्ता भी दिया जाना।

(16) पति द्वारा दहेज न मिलने अथवा कम दहेज मिलने पर दाम्पत्य अधिकारों से वंचित करने को तलाक का एक आधार माना जाना।

(17) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को संसद् अथवा राज्य विधान सभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना।

(18) प्रत्येक पंचायत को अपने क्षेत्र के दहेज के शिकार व्यक्तियों के मामलों के सम्बन्ध में अथवा सामान्य रूप से अपने क्षेत्र में इस अधिनियम के कार्यकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

(19) केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सांविधिक शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाये ।

3.42. धारा 1—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की इस धारा की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होगी ।

3.43. समिति यह महसूस करती है कि चूंकि यह दहेज प्रथा सारे देशों में समाज के सभी वर्गों में प्रचलित है इसलिए इस अधिनियम के उपबन्धों को भारत के प्रत्येक नागरिक पर जम्मू कश्मीर सहित सम्पूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए। समिति को यह बताया गया कि इस अधिनियम के उपबन्धों को उस राज्य पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सम्बद्ध प्रविष्टियां उस राज्य पर लागू नहीं होती ।

3.44. समिति की यह राय है कि देश में व्याप्त दहेज प्रथा की बुराई को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को उस राज्य पर भी लागू किया जाये । इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार सम्बद्ध प्रविष्टियों को उस राज्य पर लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में विचार करे ताकि इस अधिनियम के उपबन्धों को उस राज्य पर भी लागू किया जा सके ।

नई दिल्ली ;
10 अगस्त, 1982

19 श्रावण, 1904 (शक)

कृष्णा साही,
सभापति,
संयुक्त समिति ।

अध्याय-चार

विमत टिप्पण

एक

मैं, केवल इस बात को छोड़ कर अर्थात् केन्द्र, राज्य और सरकारी उपक्रमों की सेवाओं में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएं, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि अध्याय तीन, भाग दो, क्रम संख्या (9) पृष्ट 34 पर की गई सामान्य सिफारिश के स्थान पर "(9) महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसरों के उत्पन्न करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बजटों तथा योजनाओं बजट दोनों में धनराशि निर्धारित की जाए" प्रतिस्थापित किया जाये।

मेरे विचार से सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी उपबन्ध करने से अधिक भ्रांति उत्पन्न होगी। मेरी राय यह है कि इस प्रकार का उपबन्ध महिलाओं को सहायता पहुंचाने के स्थान पर सामाजिक तनाव उत्पन्न करेगा। कुछेक वर्गों के लिए किए गए आरक्षण जो कि किसी स्तर तक आवश्यक समझे गए हैं, से भी सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षण करने से एक अलग ही किस्म का सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा।

मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि नौकरियों में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है तथा अधिकांशतः उन्हें असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत महिलाओं का केवल 6 प्रतिशत हैं और संगठित क्षेत्र की कुल कार्यरत संख्या का 11 प्रतिशत है। आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण महिलाओं को रोजगार से हटाया जा रहा है। रक्षाकारी विधान द्वारा उनकी रक्षा किए जाने के स्थान पर उन्हें नौकरियों से हटाया जा रहा है। इस स्थिति को बदलना होगा। सरकार का राजनैतिक संकल्प ही इस समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आरक्षण करने के स्थान पर वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य और केन्द्र के बजट तथा योजना बजटों में रोजगार के अधिक अवसर जुटाने एवं तकनीकी दक्षता के लिए प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं, इसी कारण इस संशोधन पर जोर दे रही हूं।

सुशीला गोपालन

नई दिल्ली;

9 अगस्त, 1982

---

18 श्रावण, 1904 (शक)

दो

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा की गई व्यापक सिफारिशों पर सामान्य रूप से सहमति प्रकट करते हुए, मैं एक महत्वपूर्ण पहलू के विषय में अपना विमत टिप्पण प्रस्तुत कर रही हूं।

प्रतिवेदन में की गई सिफारिश में वधू के माता-पिता, संबंधियों, मित्रों आदि के द्वारा स्वेच्छा से, बिना जोर जबरदस्ती अथवा दबाव के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिये जाने वाले उपहारों के मूल्य पर रोक लगाई गई है, जिनका मूल्य वधू के माता-पिता अथवा विवाह का व्यय वहन करने वाले व्यक्ति की विवाह के वर्ष से पहले के वर्ष की वार्षिक आय के 20% या 15 हजार रुपये, जो भी कम हो, होना चाहिये। मेरे विचार में यह सीमा घटाकर वार्षिक आय का 10%, अथवा 10 हजार रु० जो भी कम हो, कर दी जानी चाहिये।

मैं चाहती हूं कि संबंधित कानून में एक निश्चित उपबंध बनाकर यह घोषित करना अनिवार्य किया जाए कि विवाह तक वधू का अपने माता-पिता की धन संपत्ति में कितना हिस्सा है तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि विवाह के पश्चात् भी माता-पिता की धन संपत्ति पर उसका दावा माना जाना चाहिये।

नयी दिल्ली; **प्रमिला दण्डवते**

9 अगस्त, 1982

---

18 श्रावण, 1904 (शक).

परिशिष्ट एक

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 2)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति की नियुक्ति करने के संबंध में दिन शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 को लोक सभा में स्वीकृत प्रस्ताव :

"कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण और दहेज प्रथा की बुराई को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए विधि में किये जाने वाले संशोधनों का प्रश्न, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये और उससे लोक सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने को कहा जाये ;

कि इस समिति में 21 सदस्य होंगे, 14 सदस्य इस सभा से जिन्हें अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करेंगे और 7 राज्य सभा से जिन्हें राज्य सभा के सभापति नाम निर्दिष्ट करेंगे;

कि अध्यक्ष इस समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को उसका सभापति नाम निर्दिष्ट करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों संबंधी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तन और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करना चाहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा संयुक्त समिति के लिए नाम निर्दिष्ट किये गये 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति क लिए लोक सभा के सदस्यों का नाम निर्दिष्टीकरण

सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 1980 को प्रस्ताव स्वीकार किये के अनुसरण में अध्यक्ष ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्य करण के प्रश्न की जांच करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम निर्दिष्ट किये हैं :—

1. श्रीमती कृष्णा साही—**सभापति**
2. डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी
5. श्रीमती सुशीला गोपालन

6. श्री जगपाल सिंह
7. श्री सत्यनारायण जाटिया
8. श्रीमती मोहसिना किदवई
9. श्री अन्नत रामुलू मल्लु
10. श्री सी० पलानी अप्पन
11. श्रीमती संयोगिता राणे
12. श्री पी० शिवशंकर
13. श्रीमती सुखवंत कौर
14. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

[देखिए दिनांक 15 जनवरी, 1981 का लोक सभा समाचार भाग–2 का पैरा 730]

परिशिष्ट—दो

(प्रस्तावना का पैरा 2 देखिए)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के संबंध में बुधवार, 24 दिसम्बर, 1980 को राज्य सभा में स्वीकृत प्रस्ताव :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कारण और दहेज प्रथा की बुराई को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए विधि में किये जाने वाले संशोधनों का प्रश्न जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का गठन करने के लिए 19 दिसम्बर, 1980 को हुई लोक सभा की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो जो इस सभा को भेजा गया था और जिसमें सभापति को राज्य सभा से 7 सदस्य उक्त समिति में सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा के सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करण

सभापति, राज्य सभा ने 26 दिसम्बर, 1980 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में निम्नलिखित राज्य सभा सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :—

1. श्रीमती उषा मल्होत्रा
2. श्रीमती मनोरमा पांडे
3. श्रीमती प्रमिलाबाई दाजी साहेब चव्हाण
4. श्रीमती कनक मुखर्जी
5. श्रीमती मार्गरेट अल्वा
6. श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी
7. डा० (श्रीमती) सत्यवाणी मुथु

[देखिए दिनांक 15 जनवरी, 1981 का लोक सभा समाचार भाग दो का पैरा 731]

परिशिष्ट—तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.3)

1939 का सिंध अधिनियम संख्यांक 21

(गवर्नर की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् सिंध सरकार के राजपत्र तारीख 13 जुलाई, 1979 में प्रथम बार प्रकाशित)

सगाई या विवाह की संविदा के भागस्वरूप किए गए या किए जाने के लिए करार किए गए संदायों का प्रतिषेध करने के लिए और सिंध प्रान्त में **देती-लेती** को निर्बन्धित करने के लिए अधिनियम :

सगाई या विवाह की संविदा के भागस्वरूप किए गए या किए जाने के लिए करार किए गए संदायों को प्रतिषिद्ध करना और सिंध प्रान्त में **देती-लेती** को निर्बन्धित करना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम; प्रारम्भ और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिंध देती-लेती अधिनियम, 1939 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो प्रान्तीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इस अधिनियम के उपबंध मुसलमानों, पारसियों, ईसाईयों और यहूदियों को लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध मुसलमानों (मोहमेडन) को लागू नहीं होंगे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो—

(1) "लड़की" से किसी भी आयु की कोई स्त्री अभिप्रेत है ;

(2) "विवाह" से ऐसे व्यक्तियों का विवाह अभिप्रेत है जिन्हें या उनमें से किसी एक को यह अधिनियम लागू होता है;

(3) "संदाय" से ऐसा संदाय अभिप्रेत है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या को जिसकी सगाई या विवाह हुआ है या उसके माता-पिता या किसी अन्य नातेदार या संरक्षक द्वारा या को सगाई या विवाह के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप किया गया है या किए जाने का करार किया गया है और इसके अन्तर्गत किसी त्यौहार या शुभ दिन को या बालक

के जन्म पर या वधु या वर के माता-पिता या नातेदारों के कुटुम्ब में किसी कर्म पर वस्तु के रूप में कोई उपहार या भेंट देना भी है ; और

(4) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

सगाई या विवाह की संविदा के भागस्वरूप संदायों को देने और उन्हें स्वीकार करने का प्रतिषेध।

3. कोई व्यक्ति किसी सगाई या विवाह की संविदा के भागस्वरूप कोई संदाय नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा या करने के लिए या स्वीकार करने के लिए करार नहीं करेगा।

सूची में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी अन्य संदाय का न किया जाना या प्राप्त किया जाना ।

4. (1) धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी लड़की की सगाई या विवाह किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति ऐसी सगाई या विवाह के समय या उसके पश्चात् उस सीमा से अधिक जो इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूची कहा गया है) विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी लड़की के कुटुम्ब को लागू हो, कोई संदाय नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे मामलों को भी लागू समझे जाएंगे, जिनमें—

(क) सगाई, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व होती है किन्तु विवाह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित होता है ;

(ख) विवाह, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अनुष्ठापित हो गया है।

(3) इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी संदाय पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस धारा के अधीन किए जाने के लिए प्राधिकृत संदायों के सकल मूल्य की संगणना करने में ऐसे संदायों को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

सूची की विषय-सूची ।

5. सूची में, उसके अधीन प्राधिकृत अधिकतम संदायों की प्रकृति और संख्या की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और वह अवसर जिस पर और वे व्यक्ति भी जिनको या जिनके द्वारा ऐसे संदाय किए गए हैं, अन्तर्विष्ट होंगे :

परन्तु ऐसे संदायों का सकल मूल्य निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) जहां सूची किसी पंचायत द्वारा बनाई गई है वहां—

(क) सगाई की तारीख से, विवाह की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक किए गए संदायों की बाबत, 500 रु० ;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान किए गए संदायों की बाबत 50 रुपये प्रति वर्ष; और

(ग) उसके पश्चात् किए गए संदायों की बाबत 25 रु० प्रति वर्ष;

(ii) जहां सूची, प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाई गई है, वहां—

(क) सगाई की तारीख से, विवाह की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक किए गए संदायों की बाबत 200 रु०;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान किए गए संदायों की बाबत 20 रु० प्रति वर्ष; और

(ग) उसके पश्चात् किए गए संदायों की बाबत 10 रु० प्रति वर्ष।

6. पंचायत विहित रीति में और विहित अवधि के भीतर एक सूची बनाएगी और विहित रीति से उसे रजिस्ट्रीकृत कराएगी। यह सूची पंचायत के प्रत्येक सदस्य पर जब तक वह ऐसा सदस्य रहता है, और उसके कुटुम्ब के ऐसे प्रत्येक सदस्य पर जो इस पर आश्रित है, बाध्यकर होगी।

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "पंचायत" से व्यक्तियों का कोई ऐसा समुच्चय या निकाय अभिप्रेत है, जो कम से कम पचास वयस्क पुरुष सदस्यों से मिलकर बना है।

वे व्यक्ति जिन्हें प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाई गई सूची लागू होती है।

7. प्रान्तीय सरकार, विहित रीति में एक सूची बनाएगी और प्रकाशित करेगी तथा ऐसी सूची निम्नलिखित को लागू होगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति जो किसी पंचायत के सदस्य हैं, यदि ऐसी पंचायत ने सूची नहीं बनाई है या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित रीति में और विहित समय के भीतर सूची को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति जो किसी पंचायत के सदस्य नहीं हैं।

8. जो कोई, धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्ध होने पर, साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो यथास्थिति, एक हजार रुपए तक हो या धारा 3 या धारा 3 के उल्लंघन में किए गए संदाय के मूल्य तक का इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा : — धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड ।

परन्तु किसी स्त्री को कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया जाएगा ।

9. इस अधिनियम में की कोई बात विरासत द्वारा या किसी बिल या वसीयती व्ययन के आधार पर प्राप्त या अर्जित किसी अधिकार या हित को परिवर्तित नहीं करेगी । — विरासत या वसीयती व्ययनों से प्राप्त अधिकारों की व्यावृत्ति ।

10. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते भी, किसी लड़की के पक्ष में उसकी सगाई से छह मास के भीतर या उसके विवाह की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व दिया गया उपहार या किया गया ठहराव, जो कि संदाय नहीं है, शून्य होगा । — कतिपय उपहारों और ठहरावों का शून्य होना ।

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 190 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस निमित्त प्रान्तीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को छोड़कर, कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा । — इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता ।

12. इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे अपराध का किया जाना अभिकथित किया गया है, लिखित आदेश द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपनी सहमति नहीं देता है । — अपराध का संज्ञान ।

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 205 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट यदि अभियुक्त स्त्री है और किसी अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाती है, तो ऐसे अभियुक्त के आवेदन पर, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त कर देगा और उसके अभिवक्ता द्वारा उसको उपस्थिति होने की अनुज्ञा देगा । — यदि अभियुक्त कोई स्त्री है तो मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

14. (1) न्यायालय, परिवादी की परीक्षा करने के पश्चात् और अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिका जारी करने के पूर्व किसी भी समय, लेखबद्ध कारणों के सिवाय, परिवादी से ऐसे किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, जिसे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 250 के अधीन संदत्त करने के लिए परिवादी को निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रतिभूति के रूप में एक सौ रुपये से अनधिक की राशि के — परिवादी से प्रतिभूति लेने की शक्ति ।

लिए एक बंधपत्र प्रतिभूओं के सहित या उसके बिना, निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। और यदि ऐसी प्रतिभूति ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे, नहीं दी जाती है तो परिवाद खारिज कर दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन लिया गया बंधपत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन लिया गया बन्धपत्र समझा जाएगा और संहिता का अध्याय 42 तद्नुसार लागू होगा।

प्रान्तीय सरकार कतिपय पंचायतों की इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. प्रांतीय सरकार, किसी पंचायत को, जिसके सदस्यों ने अपने समुदाय की प्रथा के अनुसार अपनी लड़कियों का विवाह सिंध प्रान्त से बाहर अधिवास करने वाले व्यक्तियों से किया है, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

16. (1) प्रान्तीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर, विशिष्टतया और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

(क) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर कोई पंचायत धारा 6 के अधीन सूची बनाएगी;

(ख) वह रीति जिससे, वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वे शर्तें कि जिन पर कोई पंचायत रजिस्ट्रीकृत की जाएगी;

(ग) धारा 7 के अधीन सूची का बनाया जाना और वह रीति जिसमें वह प्रकाशित की जाएगी; और

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और वे पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम सिंध विधान मंडल के समक्ष उक्त विधान सभा के आगामी सत्र के दौरान रखे जाएंगे तथा उक्त विधान सभा के किसी प्रस्ताव द्वारा उनका उपान्तरण या विखण्डन किया जा सकेगा और ऐसे नियम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् संशोधित किये गए या विखण्डित किए समझे जाएंगे।

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.5)

[बिहार अधिनियम, 1950, संख्या 25]

बिहार दहेज अवरोध अधिनियम, 1950

[इस अधिनियम पर राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जून, 1950 को प्राप्त हुई और वह अनुमति बिहार राजपत्र में 5 जुलाई, 1950 को पहली बार प्रकाशित की गई]

विवाहों में दहेज के लेन-देन पर अवरोध का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।[1]

चूंकि विवाहों में दहेज के लेन-देन पर अवरोध करने का उपबंध करना समीचीन है, अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारम्भ एवं लगू होना।

1. (1) इस अधिनियम का नाम बिहार दहेज अवरोध अधिनियम, 1950 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण बिहार राज्य में है।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध प्रथमतः हिन्दू, जैन और सिख पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेशित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, किसी अन्य समुदाय के सदस्यों पर भी लागू हों।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो "दहेज" से अभिप्रेत है किसी सगाई या विवाह की संविदा के प्रतिफ़ल के रूप में संदत्त या परिदत्त कोई वस्तु और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं :—

(1) तिलक, जिसके अन्तर्गत छेका भी आता है, जहां नकद या वस्तु रूप में या दोनों ही रूप में दी गई रकम दो सौ एकावन रुपये से अधिक होती हो; या

(2) दहेज, जिसके अन्तर्गत द्वारपूजा, मिलन या जादराह भी आता है, जहां नकद या वस्तु रूप में या दोनों ही रूप में दी गई रकम दो सौ एकावन रुपये से अधिक होती हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं:—

(क) कन्या निरीक्षण या मथझका;

(ख) स्त्री-धन या ऐसी अन्य धार्मिक बाध्यताएं, जो हिन्दू विधि या स्वीय विधि (पर्सनल ला) द्वारा पक्षकारों पर लागू होने के लिए आविष्ट हों;

(ग) स्वैच्छिक विवाह दान, जैसे विवाह अनुष्ठान के सम्पन्न होने के बाद किसी समय बधू को आभूषण एवं वर को वस्तु।

दहेज लेने पर दंड

3. ऐसा कोई व्यक्ति, जो दहेज ले, वो दोषसिद्ध पर छह महीने तक के साधारण कारावास से या लिए गए दहेज की रकम या मूल्य तक के जुर्माने से या दोनों ही में से दंडनीय होगा।

दहेज देने या दहेज देना या लेना।

4. ऐसा व्यक्ति, जो दहेज दे या दहेज का लेना या देना दुष्प्रेरित करे वह, दोषसिद्ध पर, एक महीने तक के साधारण कारावास से या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों ही से, दंडनीय होगा।

अपराध का विचारण।

5. धारा 3 या 4 के अधीन अपराध असंज्ञेय होगा और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य होगा।

कारण दर्शाने की सूचना दिए बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन आरंभ नहीं किया जाना।

6. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के बारे में कोई कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं की जायेगी, जब तक जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाय उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में निर्दिष्ट हो, यह कारण दर्शाने का अवसर न दे दिया जाय कि उसके विरुद्ध अभियोजन क्यों नहीं चलाया जाय।

परिशिष्ट पांच

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.5)

1958 का अधिनियम सं० 1

आन्ध्र प्रदेश राज्य में दहेज प्रतिषेध के लिए अधिनियम

विवाह के प्रतिफलस्वरूप दहेज का प्रतिषेध करने के लिए और उससे सम्बद्ध अन्य विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम; विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1958 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम का लागू होना

2. (1) यह अधिनियम—

(क) सभी व्यक्तियों को, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो राज्य में अधिवासी हैं, चाहे विवाह राज्य के भीतर या बाहर किया गया है ;

(ख) विवाह के पक्षकारों को, यदि उनमें से कोई राज्य में अधिवासी है ;

(ग) राज्य में किए गए सभी विवाहों को, यद्यपि कि ऐसे विवाहों का कोई भी पक्षकार राज्य में अधिवासी नहीं है, लागू होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति का अधिवास भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 6 से 18 तक (जिनमें दोनों सम्मिलित हैं) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् विवाह के एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार की ओर से

किसी अन्य व्यक्ति को, विवाह के अन्य पक्षकार द्वारा या ऐसे अन्य पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पक्षकारों की सगाई या विवाह के प्रतिफलस्वरूप की गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि लागू होती है, मेहर, इसके अन्तर्गत नहीं है ।

स्पष्टीकरण—"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 49) की धारा 45 में है ;

(ख) "राज्य" से आन्ध्र प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ।

दहेज का देना या लेना अविधिमान्य होगा

4. (1) किसी प्रतिकूल विधि, रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी दहेज का देना या लेना अविधिमान्य होगा ।

(2) दहेज देने या लेने के लिए कोई करार या इसके बारे में कोई संव्यवहार शून्य होगा ।

अपराधों का असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होना ।

5. इस अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होंगे ।

अपराधों का संज्ञान ।

6. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय नहीं करेगा और ऐसा अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिवाद किए जाने पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

दहेज देने या लेने या दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण करने के लिए शास्ति ।

7. जो कोई दहेज देगा या लेगा या दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो छह मास से अधिक का नहीं होगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

8. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और ऐसे उपान्तरणों के अधीन होंगे, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में हों, जैसे कि वह सभा उस सत्र के दौरान जिसमें वे उस प्रकार रखे गए हैं, तत्पश्चात् चौदह दिन के भीतर करे ।

परिशिष्ट छः

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.9)

1959 का विधेयक संख्यांक 33

उपाबन्ध–1

दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959
(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)
दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1959 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

"दहेज" की परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् विवाह के एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अन्य पक्षकार द्वारा या ऐसे अन्य पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पक्षकारों की सगाई या विवाह के प्रतिफलस्वरूप दी गई है या दी जाने के लिए क़रार की गई है, किन्तु—

(एक) उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर ; या

(दो) विवाह के किसी भी पक्षकार को विवाह के समय आभूषण, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई कोई भेंट जो कुल मिलाकर मूल्य में दो हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

इसके अन्तर्गत नहीं है ।

स्पष्टीकरण—"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है ।

दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति ।

3. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

दहेज मांगने के लिए शास्ति ।

4. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथा-स्थिति, वधू या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना ।

5. दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा ।

दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना ।

6. (1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर या यदि वह स्त्री अव्यस्क हो तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, उस स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किसी सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर अन्तरण करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सम्पत्ति का अन्तरण करने की अपनी बाध्यता से छूट नहीं मिलेगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए 1898 का 5-भी— अपराधों का संज्ञान ।

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा;

(ख) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं ।

8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होगा । अपराधों का असज्ञेय, जमनतीय और अशमनीय होना

9. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है । नियम बनाने की शक्ति

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

1958 का आंध्र प्रदश अधिनियम । 1950 का विहार अधिनियम 26 ।

10. उस तारीख को, जिसको यह अधिनियम आन्ध्र प्रदेश या बिहार राज्य में प्रवृत्त होता है, यथास्थिति आन्ध्र प्रदेश डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1958 या बिहार डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1950 निरसित हो जायेगा । निरसन

परिशिष्ट सात

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.9)

1959 का विधेयक संख्यांक 33 बी

दहेज प्रतिशेध विधेयक, 1959

(संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किये गये रूप में)

(पार्श्व रैखांकित या अधोरेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन उपदर्शित करते हैं, तारांकित लोप उपदर्शित करते हैं)

दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, और आरम्भ। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1959 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। * * * *

"दहेज" की परिभाषा। 2. इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् विवाह के एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अन्य पक्षकार द्वारा या ऐसे अन्य पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पक्षकारों की सगाई या विवाह के प्रतिफलस्वरूप या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिये करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इस के अन्तर्गत नहीं है।

* * * * *

1860 का 45 स्पष्टीकरण—"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है।

3. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, **** दण्डनीय होगा। — दहेज देने या दहेज लेने के लिये शास्ति।

4. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक, से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। — दहेजमांगने केलिये शास्ति।

5. दहेज लेने या देने के लिये करार शून्य होगा। — दहेज देनेया लेने के लिये करार का शून्य होना।

6. (1) जहां ***** कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, **** — दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिये होना।

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, या

(ख) यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, या

(ग) यदि वह उस समय, जब स्त्री अवयस्क थी, तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर,

स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिये धारण करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सम्पत्ति का, उसके लिये पारिसी काल के भीतर अन्तरण करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, ******** दण्डनीय होगा, किन्तु ऐसे दण्ड से किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सम्पत्ति का अन्तरण करने की अपनी बाध्यता से छूट नहीं मिलेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिये हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे।

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अपराधों का संसान । 7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए 1898 का भी —

(क) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन **** किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ;

(ख) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर किये गये परिवार पर होगा, अन्यथा नहीं ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्धदोष किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी दण्डादेश, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हो, पारित करना प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा।

अपराधों का संक्षेप, जमानतीय और अशमनीय होना । 8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होगा ।

नियम बनाने की शक्ति । 9. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा ठीक बाद के दो सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई बाद की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन । 10. **** आन्ध्र प्रदेश डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1958 और बिहार डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1950 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं । 1958 का आंध्र प्रदेश अधिनियम। 1850 का बिहार अधिनियम। 25 ।

परिशिष्ट आठ

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.9)

(20 मई, 1961 को अनुमत)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम सं० 28)

(उड़ीसा राज्य को उसे लागू करने में 31 जनवरी; 1976 तक यथाउपान्तरित)

दहेज का देना या लेना प्रतिषिध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

"दहेज" की परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् :—

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को;

उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रति फलस्वरूप या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षत: दी गई या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अन्तर्गत नहीं है ।

स्पष्टीकरण —शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि विवाह के किसी भी एक पक्षकार को नकदी आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई किन्हीं भेंटों को इस धारा के अन्तर्गत तब तक दहेज नहीं समझा जाएगा जब तक कि वे भेंटें उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रति फलस्वरूप न दी गई हों ।

स्पष्टीकरण 2—"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। 1860 का 45 ।

दहेज देने या दहेज लेने के लिये शक्ति ।

3. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपय तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

दहेज मांगने के लिये शास्ति ।

4. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

दहेज देने या लेने के लिये करार का शून्य होना ।

5. दहेज देने या लेने के लिये करार शून्य होगा ।

दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिये फायदे के लिये होना ।

6. (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के सबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही वह व्यक्ति दहेज की —

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ; या

(ख) यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ; या

(ग) यदि वह दहेज उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित किसी सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर अन्तरण करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तब तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, उपधारा (1)

द्वारा यथाअपेक्षित सम्पत्ति का अन्तरण करने की अपनी बाध्यता से छूट नहीं मिलेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे।

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों से इन्कार करने के लिए शास्ति।

6क. (1) यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कि दहेज नहीं दिया गया है या दिया गया दहेज अपर्याप्त है, अपनी पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से इन्कार करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, यथास्थिति, दहेज या उसके किसी भाग की वसूली न करने के लिए तथा पत्नी को दाम्पत्य अधिकार मंजूर करने के लिए पति द्वारा बन्धपत्र निष्पादित करने पर कार्यवाही समाप्त कर सकेगा।

(3) यदि पत्नी द्वारा कार्यवाही के पुनःआरम्भ के लिए आवेदन दिये जाने पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पति ने वचन का पालन नहीं किया है या बन्धपत्र के निबंधनों के विरुद्ध अन्यथा कार्य किया है तो उपधारा (2) के अधीन समाप्त की गई किसी कार्यवाही को पुनः आरम्भ किया जाएगा और तब न्यायालय उस मामले में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस प्रक्रम पर उस कार्यवाही को समाप्त किया गया था ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन पर विचारण नहीं किया जाएगा यदि वह उस तारीख से जिसको कार्यवाहियां समाप्त की गई थीं, तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किया जाता है।

(4) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना, यदि कोई हो, या उसका उतना प्रभाग जो न्यायालय उचित समझे, पत्नी को प्रतिकर के रूप में संदत्त किया जाएगा।

पति की दोष सिद्धि पर उसके द्वारा भरण-पोषण का संदाय किया जाना।

6ख. (1) धारा 6-क के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, दोष सिद्धि के आदेश की तारीख से दो मास के भीतर इस निमित्त उसकी पत्नी द्वारा दावा किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए पांच सौ रुपये से अनधिक ऐसी मासिक दर से, जो न्यायालय उचित समझे, मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन मासिक भत्ते का अवधारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :—

क. पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति,

ख. पत्नी की युक्तियुक्त आवश्यकताएं,

ग. पत्नी की सम्पत्ति का मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से या पत्नी के स्वयं के उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से कोई आय; और

घ. धारा 6–क के अधीन दिए गए प्रतिकर की रकम।

(3) इस प्रकार आदिष्ट भरण-पोषण भत्ता पति की सम्पत्ति पर यदि कोई है, प्रभार होगा चाहे वह आदेश की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित की गई हो।

(4) जहां धारा 6–क के अधीन किसी अपराध के लिए पत्नी द्वारा कोई परिवाद फाइल किया गया है वहां पति—

क. जहां भरण-पोषण के लिए कोई दावा इस धारा के अधीन नहीं किया गया है, वहां ऐसा दावा फाइल करने के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि का अवसान की तारीख तक, और

ख. जहां ऐसा दावा किया गया है वहां ऐसे दावे के निपटाये जाने तक,

अपनी किन्हीं आस्तियों का अन्तरण नहीं करेगा।

(5) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पत्नी भरण-पोषण के लिए किसी दावे का प्रवर्तन ऐसी किसी सम्पत्ति के विरुद्ध, जिसे पति ने उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघनों में अन्तरित किया है, वैसे ही कर सकेगी मानो ऐसा अन्तरण बातिल और शून्य हों।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंध यावत्शक्य इस धारा के अधीन आदिष्ट भरण-पोषण भत्ता की वसूली को लागू होंगे।

अपराधों का संज्ञान।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी,

क. प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा;

ख. कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं ;

ग. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी दंडादेश, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हो, पारित करना प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा।

अपराधों का असंज्ञेय, जमानती, और अशमनीय होना।

8. जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होगा।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा ठीक बाद के दो सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन।

10. आन्ध्र प्रदेश डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट 1958 और बिहार डाउरी रेस्ट्रेंट ऐक्ट, 1950 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

परिशिष्ट नौ

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 1.11)

बिहार गजट (असाधारण), 20 जनवरी, 1976

(बिहार अधिनियम 4, 1976)

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975

बिहार राज्य पर लागू होने में, डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1961 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(एक) यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलाएगा ।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. अधिनियम 28, 1961 की धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन—डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1961 (अधिनियम 28, 1961) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"3. दहेज देने या लेने के लिए शास्ति—इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिये अवप्रेरित करता है, तो वह छः महीने तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।"

3. अधिनियम 28, 1961 की धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन—उक्त अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"4. दहेज की मांग करने के लिये शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः यथास्थिति, वधू या वर के मां-बाप या अभिभावक से दहेज मांगता है, तो वह छः महीने तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दडंनीय होगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान सिवाय राज्य सरकार या इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य या विषय आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी के, नहीं करेगा ।"

4. अधिधिनियम, 28, 1961 की धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन—उक्त अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"7. अपराधों का विचारण—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मैट्रोपोलिटन

मजिस्ट्रेट या प्रथम कोटि के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।"

5. अधिनियम 28, 1961 की धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन—उक्त अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्न-लिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"8. अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा ।"

6. निरसन और व्यावृत्ति—(1) दहेज प्रतिषेध बिहार संशोधन अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश संख्या 194, 1975) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्यवाही की गयी थी ।

परिशिष्ट--दस

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.12)

दहेज प्रतिषेध (पश्चिमी बंगाल संशोधन)
अधिनियम, 1975

(पश्चिमी बंगाल विधान-मण्डल द्वारा पारित रूप में)

(राष्ट्रपति की अनुमति प्रथम बार कलकत्ता राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 सितम्बर, 1975 में प्रकाशित की गई)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का, पश्चिमी बंगाल में उसे लागू करने में, संशोधन, करने के लिए अधिनियम

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का पश्चिमी बंगाल में उसे लागू करने में इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रयोजनों के लिए और रीति से संशोधन करना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में पश्चिमी बंगाल विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (पश्चिमी बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1975 है।

अधिनियम का लागू होना।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) पश्चिमी बंगाल में उसे लागू करने में, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से संशोधित किया जाएगा।

1961 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 का संशोधन।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 में, "जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा," शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

4. उक्त अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) "वधू या वर के माता पिता या संरक्षक से" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य व्यक्ति से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा," शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा," शब्द रखे जाएंगे।

(ग) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान व्यथित पक्षकार या उसके माता-पिता द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष से अन्यून से अवस्थित ऐसे किसी समाज कल्याण संगठन द्वारा जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे संगठन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर संज्ञान करने के लिए ऐसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।"।

नई धारा 4क का अन्तःस्थापन।

5. उक्त अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से किसी पक्षकार को वंचित करने के लिए शास्ति।

4क. (1) यदि विवाह के पश्चात् विवाह का कोई पक्षकार अपने माता-पिता या संरक्षक की सहायता से या उसके बिना, अन्य पक्षकार को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करता है या विवाह के पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् दहेज न दिए जाने के लिए उक्त अन्य पक्षकार को उत्पीड़ित करता है या उसका भरणपोषण करने से इंकार करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इस विषय पर अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।"।

धारा 7 का संशोधन।

6. उक्त अधिनियम की धारा 7 में,— 1898 का 5 1974 का 2

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट", शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खण्ड (ख) में, "अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर" शब्द रखें जाएंगे ।

परिशिष्ट ग्यारह

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.13)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम सं० 28)

(1 सितम्बर, 1976 को यथाविद्यमान)

(20 मई, 1961)

दहेज का देना या लेना प्रतिषेध

करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है। **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् :— **"दहेज" की परिभाषा।**

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को ;

उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफलस्वरूप या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि विवाह के समय विवाह के किसी भी एक पक्षकार को नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई किन्हीं भेंटों को इस

धारा के अर्थान्तर्गत तब तक दहेज नहीं समझा जाएगा जब तक कि वे भेंट उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफ़लस्वरूप न दी गई हों।

1860 का 45

स्पष्टीकरण 2—"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 30 में है।

दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति।

3. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना उत्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

दहेज मांगने के लिए शास्ति।

4. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षा से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना।

5. दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।

दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना।

6. (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति इस दहेज को,—

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ; या

(ख) यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ; या

(ग) यदि वह उस समय जब स्त्री, अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, एक वर्ष के भीतर,

स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किसी सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर अन्तरण करने में असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकगा या दोनों से, दंडनीय होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सम्पत्ति का अंतरण करने की अपनी बाध्यता से छूट नहीं मिलेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे।

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

1898 का 5 7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी-- अपराधों का संज्ञान।

(क) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा;

(ख) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी दंडादेश, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हो, पारित करना प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथव वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा।

8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होगा। अपराधों का असंज्ञेय जमानतीय और अशमनीय होना।

9. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा ठीक बाद के दो सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु

नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. आंध्र प्रदेश डायरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1958 और बिहार निरसन डाउरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 1950 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। 1958 का आंध्रप्रदेश अधिनियम। 1950 का बिहार अधिनियम, 25

परिशिष्ट बारह

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 1.14)

1976 का हरियाणा अधिनियम सं० 38

दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को, जहां तक यह हरियाणा राज्य को लागू है, शोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1976, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2, 3 और 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— 1961 के संसद अधिनियम 28 की धारा 2, 3 और 4 का प्रतिस्थापन।

"2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "दहेज" से अभिप्राय है कोई "संपत्ति" या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से—

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को ; या

(ख) विवाह के दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता- पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दोनों पक्षों में से किसी को अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को ;

उक्त पक्षों के विवाह के लिये प्रतिफल के रूप में विवाह पर या उससे पहले या बाद में दी गई है या जिसे देने के लिए करार किया गया है, किन्तु इसमें, ऐसे व्यक्तियों की दिशा में जिन्हें मुस्लिम स्वविधि (शरीयत) लागू होती है, दहेज (डावर) या मेहर शामिल नहीं है।

व्याख्या I—शंका-निवारण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विवाह के दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को विवाह के समय नकदी, गहनों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए कोई उपहार इस धारा के अर्थों में दहेज नहीं समझे जायेंगे जब तक कि वे उक्त पक्षों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में न दिए गए हों।

व्याख्या II––"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।

(ii) "विवाह खर्च" में निम्नलिखित पर विवाह के समय या उसके पहले प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्च शामिल होंगे :––

(क) ठाका, सगाई टिक्का, शगन और मिलनी की रस्में ;

(ख) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को अथवा विवाह के दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता-पिता, माता-पिता के माता-पिता तथा भाइयों द्वारा विवाह के दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को या उनके खून के रिश्तेदारों को दिए गए उपहार ;

(ग) प्रकाश व्यवस्था, बारात के सदस्यों को भोजन तथा उसके खिलाने के लिए प्रबन्ध पर और इनके आनुषंगिक अन्य खर्च।

व्याख्या––शंका-निवारण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाह के दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को विवाह के समय के दिए गए उपहार विवाह-खर्च नहीं समझे जायेंगे।

3. कुछ कार्यों का वर्जन–कोई भी व्यक्ति––

(क) न तो दहेज देगा और न ही लेगा और न ही दहेज देने या लेने के लिए उकसाएगा ;

(ख) वधु या वर के माता-पिता या अभिभावकों से, जैसी भी स्थिति हो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी दहेज नहीं मांगेगा ;

(ग) इतना विवाह-खर्च नहीं करेगा जिसका कुल मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो ;

(घ) विवाह के समय या उस से पहले नकदी, गहनों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए उपहार प्रदर्शित नहीं करेगा।

(ङ) (i) पच्चीस बारातियों ; और

(ii) बेंड के ग्यारह व्यक्तियों ;

से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा ;

(च) अपनी पत्नी को इस आधार पर दाम्पतिक अधिकारों से वंचित नहीं करेगा कि दहेज नहीं दिया गया है या दिया गया दहेज अपर्याप्त है।

4 शास्ति--(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से जो छह मास तक हो सकता है तथा जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दडण्नीय होगा।

(2) धारा 3 के खण्ड (च) के अधीन दाम्पतिक अधिकारों से सम्बन्धित किसी अपराध पर विचारण करने वाला न्यायालय, कार्यवाही की किसी भी व्यवस्था पर, पति द्वारा इस वचन का बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर कि वह दहेज नहीं मांगेगा और अपनी पत्नी को दाम्पतिक अधिकार देगा, कार्यवाही बन्द कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन बन्द की गई कोई भी कार्यवाही फिर से चालू हो जाएगी यदि पत्नी द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय को यह तसल्ली हो जाती है कि पति अपना वचन पूरा करने में असफल रहा है अथवा उसने अन्यथा बंधपत्र के निबंधनों के प्रतिकूल कोई भी कार्य किया है, तथा उसके बाद न्यायालय सम्बद्ध मामले में उस अवस्था से आगे कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा जहां से वह बन्द की गई थी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि यह उस तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाता है जिसको कार्यवाही बन्द की गई थी।

(4) न्यायालय निदेश कर सकता है कि धारा 3 के खण्ड (च) के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का अथवा उसके ऐसे भाग का, यदि कोई हो, जिसे न्यायालय उचित समझे, भुगतान पत्नी को कर दिया जाएगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में "या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से", शब्दों के स्थान पर "और जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है", शब्द रखे जायेंगे। 1961 के संसद् अधिनियम 28 की धारा 6 का संशोधन

1961 के संसद् अधिनियम 28 की धारा 7 का प्रति स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी अर्थात् :—

"7. अपराधों का संज्ञान—दण्ड प्रक्रिया संहिता" 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम वर्ग के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा ;

(ख) कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान, विवाह के किसी पक्ष की, या स्त्री के पिता, माता या भाई की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषरूप से प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी की, विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर की गई किसी शिकायत के सिवाय, नहीं करेगा ;

(ग) कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट की या किसी ऐसे अधिकारी की जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश, द्वारा, इस निमित्त उल्लिखित करे, पूर्व स्वीकृति के सिवाय नहीं करेगा ;

(घ) कोई जांच पुलिस उप-अधीक्षक की पदवी से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं कराई जाएगी ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में किसी जांच के प्रयोजन के लिए किसी स्त्री को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा।"

परिशिष्ट-13

(देखियें प्रतिवेदन का पैरा 1.15)

1976 का अधिनियम संख्यांक 25

दहेज प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय
अधिनियम सं० 28) का हिमाचल प्रदेश राज्य में
उसे लागू करने, संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

1961 का 28

धारा 3 का प्रतिस्थापन ।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की हिमाचल प्रदेश राज्य में उसे लागू करने में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात :--

"3 दहेज देने या लेने के लिए शास्ति--यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।"

धारा 4 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी अर्थात :--

"4 दहेज मांगने के लिए शास्ति--यदि कोई व्यक्ति यथा-स्थिति, वधू या वर के माता-पिता या संरक्षक से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।"

धारा 4-क और धारा 4-ख का अन्तःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"4-क. कतिपय कार्यों का वर्जन—कोई व्यक्ति जो —

(i) विवाह के समय नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई भेटों का प्रदर्शन करेगा ; या

(ii) 'ठाका' सगाई या 'टिक्का' के समय शगुन के रूप में कोई ऐसी चीज देगा, जिसका मूल्य ग्यारह रुपए से अधिक है ; या

(iii) सगाई या विवाह के संबंध में की गई मिलनी या किसी अन्य कर्म के अवसर पर विवाह के पक्षकार के माता-पिता को या किसी अन्य नातेदार को कोई चीज देगा ;

कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, डण्डनीय होगा ।

"4-ख. विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से किसी पक्षकार को वंचित करने के लिए शास्ति—

(1) यदि विवाह के पश्चात् विवाह का कोई पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से उसके बिना अन्य पक्षकार को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करेगा या विवाह के पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात् दहेज न देने के लिए उक्त अन्य पक्षकार को यातना देगा या उसका भरण-पोषण करने से इन्कार करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उस विषय पर अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे ।"

धारा 7 का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"7. अपराधों का विचारण—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) में किसी बात के होते

हुए भी, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय उस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) कोई न्यायालय, धारा 4-ख के अधीन अपराध के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान विवाह के एक वर्ष के भीतर की गई पुलिस रिपोर्ट या शिकायत पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।"

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात :— धारा 8 का प्रतिस्थापन ।

"8. अपराधों का संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होगा ।

8-क. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु पुलिस उप अधीक्षक से निम्नतर रैंक का कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मामले का अन्वेषण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।"

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में— धारा 9 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में आने वाले "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "उस धारा के अधीन बनाया गया" शब्दों के स्थान पर "उस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य

विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल सात दिन से अन्यून की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा ठीक बाद के दो सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए अपेक्षा करे तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह वांछा करे कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

परिशिष्ट चौदह

(देखियें प्रतिवेदन का पैरा 1.16)

1976 का पंजाब अधिनियम, संख्यांक 26

दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976

दहेज प्रतिषेश अधिनियम, 1961 का पंजाब राज्य में उसे लागू करने के लिये संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1976 है । — संक्षिप्त नाम ।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को पंजाब राज्य में उसे लागू करने के लिये (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में "छ मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से" शब्द रखे जायेंगे । — 1961 के केन्द्रीय अधिनियम 28 की धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में — — 1961 के केन्द्रीय अधिनियम 28 की धारा 4 का संशोधन ।

(क) "छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, "शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से", शब्द रखे जायेंगे, और

(ख) परन्तुक का लोप किया जायेगा ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें अत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :— — 1961 के केन्द्रीय अधिनियम, 28 में नई धारायें 4क और 4ख का अंत:स्थापन ।

"4-क, कोई व्यक्ति जो —

(1) ऐसे विवाह के समय नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई भेंटों को प्रदर्शित करेगा, या

(2) बारात में अवयस्कों और बैंड के सदस्यों को छोड़कर, पच्चीस से अधिक व्यक्तियों को ले जायेगा, या

(3) ठाका, सगाई या विवाह के समय शगुन के रूप में कोई ऐसी चीज देगा, जिसका मूल्य ग्यारह रुपये से अधिक है, या

(4) सगाई या विवाह के संबंध में "मिलनी" या किये गये किसी अन्य कर्म के अवसर पर विवाह के पक्षकार के माता पिता को या किसी अन्य नातेदार को कोई चीज देगा, या

(5) बारात को दो से अधिक प्रधान भोज देगा। कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में प्रधान भोज पद से दोपहर या रात्रि का भोज अभिप्रेत है।

विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों के किसी पक्षकार को वंचित करने के लिये शास्ति।

4–ख, विवाह का कोई पक्षकार जो, विवाह के पश्चात् दहेज न देने के लिये अन्य पक्षकार को विवाह के अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करेगा या यातना देगा या उक्त अन्य पक्षकार का भरण-पोषण करने से इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा अपराध करने में ऐसे पक्षकार की सहायता करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

1961 के केन्द्रीय अधिनियम 28 की धारा 7 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी अर्थात् :—

अपराधों का संज्ञान

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी —

(1) प्रथम वर्ष के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ;

कोई भी न्यायालय,

(2) धारा 3, 4, और 4-ख, के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर की गई शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं,

परन्तु –

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है या जड अथवा उन्मत्त है या रोग अथवा विरूपता के कारण परिवाद करने में असमर्थ है या ऐसी स्त्री है जिसे स्थानीय रूढ़ी और रीतियों के अनुसार सार्वजनिक

स्थान पर उपस्थित होने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है, वह कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से उस दुपुरूष या स्त्री की ओर से परिवाद कर सकेगा ।"

(ख) जहां अपराध से व्यथित व्यक्ति पानी है, वहां परिवाद उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहन या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा किया जा सकेगा, और

(3) धारा 4क के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा :

परन्तु पुलिस के उप-अधीक्षक से निम्नतर रैंक का कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा या उसके लिए किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा ।"

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :-- 1961 के केन्द्रीय अधिनियम 28 की धारा 8 का प्रति स्थापन

"8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जमानतीय और अशमनीय होगा ।" अपराधों का जमानतीय और अशमनीय होना ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

8--क, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध की बाबत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, जिला मजिस्ट्रेट को या ऐसे अधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विशेष या साधारण आदेश द्वारा नियुक्त करे, पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।" कार्यवाहियों का संस्थित् किया जाना ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 की-- 1961 के केन्द्रीय अधिनियम 28 की धारा 9 का संशोधन ।

(1) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या राज्य सरकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(2) उपधारा (2) में, "इस धारा के अधीन बनाया गया" शब्दों के स्थान पर "इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया" शब्द रखें जाएंगे, और

(3) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र

राज्य विधान सभा के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा ठीक बाद के दो या अधिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या पूर्वोक्त ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

© 1982 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 382 के अधीन महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टोरोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।